[2020] 9 एस. सी. आर 185

राज पाल सिंह

वी.

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक

(2010 की सिविल अपील संख्या 2416)

25 अगस्त, 2020

[ए. एम. खानविलकर, हेमंत गुप्ता और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस। 45 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एक भूमि एक कॉलेज के साथ पट्टे पर थी और पट्टे की अवधि समाप्त होने वाली थी।

31.08.1967 – कॉलेज ने राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया

विषय भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण-इस पर कार्य करते समय

प्रस्ताव, एक अधिसूचना यू/एस। 4 1894 अधिनियम के द्वारा जारी किया गया था

विषय भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 15.05.1968 पर कहें-इसके बाद यू/एस की घोषणा की गई। 6 1894 अधिनियम-मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर

आई. डी. 1 पर फैसला देने के लिए आगे बढ़े-इसके बाद, पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख के बारे में एक सवाल उठा-संदर्भ कार्यवाही में उच्च न्यायालय तक पहुंचने से पहले, मामला था

तत्कालीन मौजूदा एस। 256 1961 के अधिनियम ने निर्धारण वर्ष के लिए आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित 29.06.1990 दिनांकित आदेश को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भूमि अधिग्रहण से होने वाले पूंजीगत लाभ क्षतिपूर्ति आय-कर यू/एस के लिए प्रभार्य थी। 45 1961 का दशक

मुआवजे के पुरस्कार की तारीख को संदर्भित पिछले वर्ष के लिए अधिनियम अर्थात 29.09.1970 और इसके लिए अधिसूचना की तारीख नहीं

अधिग्रहण अर्थात 15.05.1968-उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि

अधिनिर्णय की तारीख को सरकार में निहित भूमि-मूल प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय की तारीख को पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख के रूप में लेना सही था। एस का उद्देश्य। 45 1961 के अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णय तत्काल मामले में सीधे लागू नहीं होते हैं।

क्योंकि, वे अनिवार्य रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं न कि भूमि के निहित होने की तारीख के बारे में, जिसके साथ तत्काल मामला संबंधित है-अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में,

पूंजीगत लाभ का संचय हस्तांतरण के पूरा होने पर निर्भर करता है

मालिक से सरकार को दी गई संपत्ति, न कि उपार्जित होने पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार-इसके अलावा, 1894 के अधिनियम के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण, सरकार को भूमि सौंपने के साथ हस्तांतरण पूरा करने से संबंधित मामले अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि के कब्जे के अधिग्रहण से संबंधित हैं।

इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण में पहुंचने पर, यह माना जाएगा कि संबंधित चरण के आने पर पूंजीगत लाभ अर्जित हुए हैं।

और इससे पहले नहीं-अधिक विशिष्ट होने के लिए, पूंजीगत लाभ अर्जित माना जाएगाः क) पुरस्कार दिए जाने पर, सामान्य अधिग्रहण के मामले में। 16 ; और (ख) अनु. में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद। 9 (1) ,

तात्कालिक अधिग्रहण के मामले में यू / एस. 17-तत्काल मामले में, विचाराधीन भूमि को सामान्य प्रक्रिया को अपनाकर 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण के अधीन किया गया था जिससे यू/एस को अधिनिर्णय दिया गया था। 11 -

इसलिए, अधिनिर्णय करने के बाद कब्जा करने पर पूंजीगत लाभ अर्जित होता-नतीजतन, निर्धारिती को पूंजीगत लाभ-विचाराधीन अधिग्रहण के लिए अपीलकर्ता अधिनिर्णय की तारीख से पहले अर्जित नहीं हो सकता था अर्थात 29.09.1970 - निर्धारण वर्ष 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपीलार्थी की आय के रूप में पूंजीगत लाभ का आकलन किसी भी दुर्बलता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ, एस के प्रयोजनों के लिए पूंजी संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण। 45 1961 के अधिनियम के अनुसार, केवल 29.09.1970, पुरस्कार की तारीख को पूरा किया गया था, न कि 15.05.1968, अधिसूचना की तारीख को।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए हैंः

(i) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पूंजीगत संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण,

1961 के अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को पूरा किया गया था; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण और अर्जित ब्याज से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ

पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर नहीं लगाया गया है? [पैरा 23] [215-ए-बी] राज पाल सिंह बनाम।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक

((ii) इस संबंध में कि क्या वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति अपीलार्थी के अन्य मामले के समान है -

निर्धारण वर्ष 1975-1976 जहाँ पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख से संबंधित एक ही मुद्दे का निर्णय आई. टी. ए. टी. द्वारा सरकार द्वारा कब्जा लेने की तारीख के संदर्भ में अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था; और उसी तरह, राजस्व के लिए समान निर्णय पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है

मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामले में आई. टी. ए. टी. का? [पैरा 23] [215-सी]

बिन्दु (i)

लाभ जिसे "पूंजीगत लाभ" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि मामलों में देखा गया है। अनिवार्य अधिग्रहण का, पूंजीगत लाभ का संचय मालिक से संपत्ति के हस्तांतरण के पूरा होने पर निर्भर करता है

क्षतिपूर्ति, निर्धारण में इस न्यायालय की सीधे सहायता न करें इस मामले में शामिल मुख्य प्रश्न का कारण यह है कि पूंजीगत लाभ पर आय-कर केवल प्राप्त करने के अधिकार पर नहीं लगाया जाता है

क्षतिपूर्ति। आय-कर की प्रभार्यता के लिए, आय या तो आई होनी चाहिए या उपार्जित हुई होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में,

इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण के आगमन से पहले कब्जा संपत्ति के मालिक में मुआवजे का दावा करने के लिए एक संभावित अधिकार को जन्म दे सकता है, लेकिन अधिनियम, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप हस्तांतरण कब्जे के अधिग्रहण के साथ पूरा होता है, भले ही ऐसा अधिग्रहण प्रासंगिक प्रावधानों में निहित होने के समय से पहले हुआ हो। [पैरा 35] [234-बी-डी] [2020] 9 एस. सी. आर.

2.3 . अविनाश शर्मा के मामले में इस अदालत का निर्णय, हालांकि, इस विचार का समर्थन करता है कि तत्काल अधिग्रहण के मामले में, भले ही अधिग्रहण के तहत भूमि का कब्जा पहले लिया गया हो, यह विचार की गई प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए।

1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) द्वारा, और उस तारीख से प्रभावी माना जाता है जिस दिन धारा 17 (1) द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी, यानी 1894 के अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिन। एस. अप्पाला नरसम्मा और पंडारी लक्ष्मैया में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को सामान्य प्रक्रिया से संबंधित मामलों में लागू किया।

अधिग्रहण और अभिनिर्धारित किया कि यदि कब्जा पहले लिया गया था, तो यह पुरस्कार से संबंधित होगा; और पुरस्कार की तारीख सरकार को भूमि सौंपने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी।

[पैरा 35.1] [234-ई-एफ]

2.4 . मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उपरोक्त में कानून के बयान अविनाश शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय निर्विवाद हैं और वर्तमान की तरह विवाद को लागू करने के लिए उन्हें प्रमुखता देने की आवश्यकता है। [पैरा 35.2] [234-जी]

2.5 . अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ऊपर चर्चा की गई है।

1894 के अधिनियम के तहत भूमि हस्तांतरण का पूरा होना और सरकार को भूमि सौंपना अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि पर कब्जा करने से संबंधित है। हालांकि, जहां इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण में पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ संबंधित चरण के आने पर अर्जित हुए हैं, न कि पहले। अधिक विशिष्ट होने के लिए, ऐसे मामलों में, पूंजीगत लाभ अर्जित माना जाएगाः (क) धारा 16 के लिए संदर्भित सामान्य अधिग्रहण के मामले में पुरस्कार देने पर; और (ख) धारा 16 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद।

2.6 . यहाँ पहले देखे गए तथ्य-पत्र के अनुसार, वर्तमान मामले में, विचाराधीन भूमि अधिग्रहण के अधीन थी 1894 के अधिनियम के तहत सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए राज पाल सिंह बनाम।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक

धारा 11 के तहत पुरस्कार देना। इसलिए, आम तौर पर, पूंजीगत लाभ

बनाने के बाद कब्जा लेने पर उपार्जित होता

पुरस्कार से। नतीजतन, विचाराधीन अधिग्रहण के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी को पूंजीगत लाभ अधिनिर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले अर्जित नहीं हो सकता था। [पैरा 37] [235-सी]

2.7 . हालांकि, प्रस्तुतियों के बल पर कि विचाराधीन भूमि पहले से ही लाभार्थी के कब्जे में थी

अधिग्रहण के लिए, निर्धारिती अपीलार्थी की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि भूमि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद सरकार में निहित हो।

अर्थात्, 15.05.1968 और उस तारीख को अर्जित पूंजीगत लाभ। यह सुझाव और उस पर स्थापित विवाद विभिन्न कारकों के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं जैसा कि संकेतित बुनियादी ढांचे में बताया गया है। [पैरा 38] [235-डी-ई]

2.8 . भले ही अन्य सभी पहलुओं को अलग रखा जाए और यह माना जाए कि विचाराधीन भूमि के कब्जे में थी या आई थी

सरकार पुरस्कार पारित करने से पहले, धारा 16 के लिए संदर्भित सामान्य अधिग्रहण के मामले में, बिंदु (ए) में बताई गई कानून की स्थिति, यानी पुरस्कार देने पर, लागू होगी; और यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ अधिकार लेने के प्रासंगिक चरण यानी पुरस्कार देने के आगमन पर उपार्जित हुए हैं और इसलिए, पूंजीगत लाभ को पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले उपार्जित नहीं माना जा सकता है। [पैरा 38.1] [235-एफ]

2.9 . नंद राम में, इस न्यायालय ने एम. ई. सी. इंडिया के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

प्रा. लिमिटेड वी. लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मायरा और अन्य। : 80 (1999) दिल्ली लॉ टाइम्स 679। उक्त सिद्धांत, जब वर्तमान मामले में लागू होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि के उस हिस्से के संबंध में जो पट्टे पर दिया गया था, कॉलेज का कब्जा, उसके बाद

31.08.1967 पर पट्टे का निर्धारण केवल पीड़ित किरायेदार का था क्योंकि यह नहीं दिखाया गया है कि पट्टेदार यानी अपीलार्थी ने किराया स्वीकार किया है या अन्यथा पट्टे को जारी रखने के लिए सहमति दी है। विचाराधीन भूमि के हिस्से पर कॉलेज का अधिकार केवल पीड़ित किरायेदार का था अपीलार्थी के शीर्षक और उपयोग और व्यवसाय के लिए अपने लाभ का भुगतान करने के लिए महाविद्यालय के दायित्व की संगत स्वीकृति। पक्षकारों की समान स्थिति [2020] 9 एस. सी. आर. के तहत भूमि है।

पट्टा अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख पर मौजूद था अर्थात,

15.05.1968 और पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 तक भी जारी रहा। दूसरे शब्दों में, अधिनिर्णय की तारीख तक भी, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने विचाराधीन भूमि के मालिक के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा और यह दर्जा केवल इसलिए नहीं खोया क्योंकि भूमि का एक हिस्सा कॉलेज के कब्जे में रहा। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह सुझाव कि प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख को सरकार के पास निहित भूमि पूरी तरह से निराधार है और हो सकता है

केवल अस्वीकार किया जाता है। [पैरा 39.3। 1 और 39.4] [239-ए, ई-एच; 240-ए]

महाविद्यालय के सभी कब्जे के परिणामस्वरूप भूमि सरकार को सौंप दी जानी थी, इस तरह की निहितता केवल उस तारीख को हुई थी जब पुरस्कार अर्थात, 29.09.1970 और इससे पहले नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती-अपीलार्थी से सरकार को भूमि का हस्तांतरण 29.09.1970 से पहले पूरा नहीं हुआ था और इसलिए, इस अधिग्रहण के कारण पूंजीगत लाभ अर्जित करने की सबसे पहली तारीख पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 थी। इसलिए, मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपीलार्थी की आय के रूप में पूंजीगत लाभ का आकलन किसी भी दुर्बलता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। [पैरा 39.6] [240-डी-ई]

2.12 . बिंदु संख्या 1 का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में है कि तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, पूंजी संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण, राज पाल सिंह बनाम के प्रयोजनों के लिए।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक

1961 के अधिनियम की धारा 45 का, पूरा होना केवल अधिनिर्णय की तारीख 29.09.1970 पर था, न कि 15.05.1968 पर, 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभों को उचित रूप से प्राप्त किया गया है।

पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर लगाया जाता है। [पैरा 41] [240-एच; 241-ए]

बिन्दु सं. (ii)

3. बिंदु संख्या 2 का उत्तर भी नकारात्मक है अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में है कि निर्धारण वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित अपीलार्थी के अन्य मामले के समान नहीं है और राजस्व को यह रुख अपनाने से नहीं रोका गया है कि वर्तमान मामले में पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण केवल निर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 पर पूरा हुआ था। [पैरा 45] [243-जी; 244-ए]

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बॉम्बे और अन्य। वी. गोदरेज एंड बॉयस (1988) 1 एससीसी 50: [1988] 1 एस. सी. आर. 590; फल और सब्जी व्यापारी संघ v. दिल्ली

विश्वास में सुधारः ए. आई. आर 1957 एस. सी. 344: [1957] एससीआर 1; हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बनाम अविनाश शर्मा (1971) 1 एससीआर 413; एलआर के माध्यम से नंद राम (डी)। और ओआरएस। वी. एलआर के माध्यम से जगदीश प्रसाद (डी)। 2020 (5)

स्केल 723-पर निर्भर।

पीटर जॉन वी। आय-कर आयुक्त (1986) 157 आई. टी. आर. 711; बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। आय-कर आयुक्त (1988) 169 आईटीआर 148; रमा बाई बनाम। आय-कर आयुक्त, आंध्र प्रदेश (1990) 181 आईटीआर 400; जोगिंदर सिंह और अन्य। वी. पंजाब और अन्न राज्य। ए. आई. आर 1985 एस. सी 382: [1985]

1 एससीआर 682-लागू नहीं होता है।

एस. अप्पाला नरसम्मा बनाम। आय-कर आयुक्त (1987) 168 आई. टी. आर. 17; आय-कर आयुक्त बनाम। पंडारी लक्ष्मैया (1997) 223 आई. टी. आर. 671-स्वीकृत। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (2004) 266 आईटीआर 99; बुद्धैया बनाम। आय आयुक्त-कर, कर्नाटक-2 (1985) 155 आईटीआर 277; [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय आयुक्त-कर बनाम। गोविंदराजुलु चेट्टी (टी. एन. के.) [1987] 165 आई. टी. आर. 331-संदर्भित।

एम. ई. सी. इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मायरा और अन्य। 80

(1999) दिल्ली लॉ टाइम्स 679 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

(1986) 157 आईटीआर 711

अप्रयोज्य

पैरा 15

(1990) 181 आईटीआर 400

अप्रयोज्य

पैरा 21.1।

(2004) 266 आईटीआर 99

संदर्भित किया गया है

पैरा 21.1।

अप्रयोज्य

[1985] 1 एससीआर 682

पैरा 22.2

(1988) 169 आईटीआर 148

अप्रयोज्य

पैरा 22.2

[1988] 1 एससीआर 590

उस पर भरोसा करें

पैरा 31.3

[1957] एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 31.4

(1985) 155 आईटीआर 277

संदर्भित किया गया है

पैरा 32.1

(1987) 168 आईटीआर 17

पैरा 33.1

मंजूरी मिल गई।

(1971) 1 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 33.1।

(1997) 223 आईटीआर 671

मंजूरी मिल गई।

पैरा 33.2

[1987] 165 आईटीआर-239

पैरा 34.2

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

2020 (5) स्केल 723

पैरा 39.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2410

2010 से।

उच्च न्यायालय के 23.04.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 के आयकर संदर्भ सं. (आई. टी. आर.) 53 ए में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से।

सुनील मुकी, सुश्री आर्य दास, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। फा.

अपीलार्थी।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक

ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , D.L.Chidnanda, शेखर व्यास, श्रीमती अनी कटियार, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक और संक्षिप्त बाह्य रेखा

1. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.04.2008 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती है।

1991 के आयकर संदर्भ संख्या 53-ए में चंडीगढ़ 1, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 2 की तत्कालीन मौजूदा धारा 256 (1) के तहत संदर्भ का जवाब देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को अस्वीकार कर दिया।

मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के लिए आई. टी. ए. संख्या 739/चंडी/89 में बेंच 3; और यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण मुआवजे से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ 1961 के अधिनियम की धारा 45 के तहत आय-कर के लिए प्रभार्य थे पिछला वर्ष जो मुआवजे के पुरस्कार की तारीख को संदर्भित करता है, अर्थात 29.09.1970 और अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख नहीं।

2. वर्तमान मामले में, के संचय की तारीख से संबंधित प्रश्न

पूंजीगत लाभ इस पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ कि हालांकि विचाराधीन अधिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 15.05.1968 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी और मुआवजे का पुरस्कार 29.09.1970 पर किया गया था, लेकिन वास्तव में, अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के समय, विषय भूमि पहले से ही पट्टे के तहत लाभार्थी के कब्जे में थी, हालांकि पट्टे की अवधि 31.08.1967 पर समाप्त हो गई थी। इन तथ्यों के आलोक में, आई. टी. ए. टी. ने अधिनिर्णय की तारीख के संदर्भ में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंजूरी नहीं दी, जबकि यह देखते हुए कि अधिसूचना की तारीख (यानी, 15.05.1968) को भौतिक कब्जा लेने की तारीख के रूप में माना जाएगा और लेनदेन (जिससे पूंजीगत लाभ होता है) को उस तारीख को किया गया माना जाएगा, न कि पुरस्कार की तारीख (यानी, 29.09.1970) को। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं था और यह अभिनिर्धारित किया कि

मुआवजे का निर्धारण केवल दिनांकित पुरस्कार के पारित होने पर किया गया था

1 1 संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय'। 2 संक्षेप में, '1961 का अधिनियम' या 'अधिनियम'। 3 संक्षेप में, 'आईटीएटी'।

29.09.1970 और इसलिए, यदि कोई पूंजीगत लाभ कर के लिए प्रभार्य था, तो यह पिछले वर्ष के लिए प्रभार्य होगा जो पुरस्कार की तारीख को संदर्भित करता है।

3. इस प्रकार, मूल प्रश्न यह है कि क्या, तथ्यों पर और

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने निर्णय की तारीख को इस उद्देश्य के लिए पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख के रूप में लेना सही था 1961 के अधिनियम की धारा 45?

4. उपरोक्त प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, हम संक्षेप में बता सकते हैं

इस मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

शुरुआत में यह संकेत देते हुए कि विचाराधीन मूल्यांकन से संबंधित मामला, संदर्भ कार्यवाही में उच्च न्यायालय तक पहुंचने से पहले, के चरण तक दो दौर की कार्यवाही से गुजरा था

अपील करें

आई. टी. ए. टी. से पहले

द एसेसी; द सब्जेक्ट लैंड; और

अधिग्रहण

5. विचाराधीन मूल्यांकन निर्धारण वर्ष 1971 के लिए है।

1972 निर्धारिती अमरीक सिंह एच. यू. एफ. 4 के संबंध में। अपीलार्थी राज पाल सिंह स्वर्गीय श्री अमरीक सिंह के पुत्र हैं और निर्धारिती एच. यू. एफ. के कर्ता हैं। जैसा कि देखा गया है, विवाद अनिवार्य रूप से निर्धारिती-अपीलार्थी से संबंधित भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के पुरस्कार से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के लिए कर की प्रभार्यता से संबंधित है।

6. यह अभिलेख पर रखी गई सामग्री से देखा जाता है और

31.08.1967 . बाद में, कॉलेज ने विषय भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए हरियाणा सरकार का रुख किया। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना, 4 हिंदू अविभाजित परिवार। 5 संक्षेप में, 'विषय भूमि' या 'विचाराधीन भूमि'।

संक्षेप में, 'द कॉलेज'।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

18947 हरियाणा सरकार द्वारा 15.05.1968 पर जारी किया गया था, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विषय भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, अर्थात् कॉलेज के लिए खेल का मैदान। इसके बाद 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत 13.08.1969 की घोषणा की गई। अंततः, मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत करने के बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अंबाला 29.09.1970 पर पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़े।

दिनांकित 29.09.1970 पुरस्कार में दर्ज और उनकी प्रासंगिकता के लिए, पुरस्कार के भौतिक भागों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 7.1 . विचाराधीन भूमि के कब्जे के संबंध में, विद्वान कलेक्टर ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" भूमि का कब्जाः

विचाराधीन भूमि जैन कॉलेज के साथ पट्टे पर थी, जिसका प्रबंधन किया जा रहा था

सोसायटी 31 अगस्त 1967 तक। इसके बाद अधिग्रहण

कार्यवाही शुरू की गई और तब से सोसायटी उसी के कब्जे में थी। इसलिए भूमि मालिक 15 मई, 1968 को जारी की गई अधिसूचना यू/एस 4 की तारीख से ब्याज के हकदार हैं। 15 मई, 1968 से अब तक भूमि मालिकों को मुआवजे और ऋण राशि के अलावा 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

7.2 . मुआवजे के अधिकार के संबंध में, विद्वान कलेक्टर ने भूमि मालिकों और प्रबंधकों द्वारा किए गए क्रॉस-दावों की जांच की।

कॉलेज की सोसायटी; और भूमि मालिकों को मुआवजा देना उचित पाया, जबकि निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः

" भुगतान का तरीका -

भूमि मालिकों ने दावा किया है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, जबकि एस. ए. जैन कॉलेज, ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी ने आवेदन किया है कि सोसायटी को मुआवजे का दो तिहाई भुगतान किया जाए।

क्षतिपूर्ति पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम के तहत भूमि का 99 साल का पट्टा या अन्यथा किरायेदार के रूप में है। इस दावे को साबित करने के लिए सोसायटी ने न तो कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और न ही कोई दस्तावेज। प्राचार्य एस. ए. जैन के आवेदन के अनुसार

कॉलेज, अंबाला शहर, इस तथ्य ने पुष्टि की कि विचाराधीन भूमि केवल 31.8.67 तक कॉलेज और कॉलेज के साथ पट्टे पर थी

7 संक्षेप में, '1894 का अधिनियम'।

वह इसे हासिल करना चाहता था ताकि इसका अधिकार कॉलेज के पास रहे। इसके अलावा, श्री अमर चंद अध्यक्ष एस. ए. जैन कॉलेज, प्रबंधन समिति ने शपथ ली।

राजस्व सहायक अंबाला 21.3.68 पर कि प्रबंधन

प्रबंधन इस भूमि के लिए भी मुआवजे का दावा कर रहा है। इनमें परिस्थितियों में, कॉलेज प्रबंधन को इस भूमि के किरायेदार होने के मुआवजे से कोई राशि नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं भूमि मालिकों को मुआवजे की अनुमति देता हूं।

मूल्यांकन कार्यवाहियों का पहला दौर

आयकर अधिकारी, 'बी' वार्ड, अंबाला द्वारा

8. निर्धारण वर्ष 1971-1972 के लिए, निर्धारिती ने अपनी आय रु। 1,408 / - जिसमें रु. 408 / - घर की संपत्ति से और रु। 1,000 / - अर्जित ब्याज की राशि। इस प्रकार घोषित आय को स्वीकार नहीं करते हुए, निर्धारण अधिकारियों ने अपने मूल्यांकन आदेश में

दिनांक 12.02.1982, ने घर की संपत्ति से आय को बढ़ाया

1, 200/- और ब्याज आय को भी बढ़ाकर रु। 11,596 / - विचाराधीन पुरस्कार के तहत प्राप्त ब्याज के संदर्भ में। हालांकि, एओ ने पाया कि विचाराधीन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ प्रासंगिक नहीं थे क्योंकि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण पहले के वर्षों में किया गया था। दिनांकित 12.02.1982 मूल्यांकन आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

" ..... निर्धारिती ने इंट दिखाया है। रु. में। 1000 / - केवल। हरियाणा सरकार को निर्धारिती की भूमि की आवश्यकता थी। अधिसूचना तिथि 16.05.68,11.06.69 और 13.08.69 देखें। चूंकि भूमि का अधिग्रहण पहले के वर्षों में किया गया था और पूंजीगत लाभ विचाराधीन वर्ष के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हालाँकि, निर्धारिती को भूमि अधिग्रहण नियंत्रक द्वारा दिनांक 29.07.70 के पुरस्कार के माध्यम से देर से मुआवजा प्राप्त हुआ, निर्धारिती को Rs.10596/- का ब्याज प्राप्त हुआ। निर्धारिती ने विवरणी में नहीं दिखाया है। इस तरह से इंट। आय को 11,596 पर लिया जाता है जिसमें 1000/- शामिल हैं।

निर्धारिती। "(sic)

8 इसके बाद इसे 'एओ' या 'आईटीओ' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अपीलीय आयुक्त के समक्ष

9. निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होने के कारण, निर्धारिती ने अपीलीय सहायक के समक्ष अपील की। इस आधार पर आयकर आयुक्त, अंबाला 'बी/अम्ब/82-83 में,

अन्य बातों के साथ-साथ, यह कि ए. ओ. ने घर की संपत्ति के वार्षिक पट्टे के मूल्य को बढ़ाना उचित नहीं था और भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए मुआवजे पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से प्राप्त 596/- की ब्याज राशि को शामिल करना भी उचित नहीं था, क्योंकि उक्त ब्याज राशि को मुआवजे के हिस्से के रूप में माना जाना आवश्यक था।

9.1 . हालाँकि घर की संपत्ति से संबंधित अपील का आधार था

विचाराधीन है। निर्धारिती ने इस सूचना पर दिनांक 26.12.1983 का एक लिखित उत्तर दाखिल किया और अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि तत्काल अधिग्रहण के तहत अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, हस्तांतरण अधिसूचना के तुरंत बाद होता है और मालिक का भूमि पर कब्जा समाप्त हो जाता है।

9.2 . सी. आई. टी. (ए) ने अपने दिनांकित 17.05.1984 के आदेश में निर्धारिती की ओर से की गई दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि भूमि अधिग्रहण पर रुपये की राशि का लाभ। 23,146 / - विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की आय में जोड़ा जाना आवश्यक था। सी. आई. टी. (ए) ने निरीक्षण और धारण करते समय इस तरह के जोड़ का आदेश दियाः

" 9 .....

आई. टी. ओ. ने मूल्यांकन आदेश में कोई कारण नहीं बताया है।

भूमि अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ कर योग्य क्यों नहीं है। इसके अलावा, मुझे आयकर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियां

मुझे अपील में इस मुद्दे पर विचार करने से नहीं रोकता है

स्टेज।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिसूचनाएं बहुत पहले प्रकाशित की गई थीं कि पुरस्कार की तारीख और भूमि पर कब्जा भी पुरस्कार की तारीख से पहले लिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

संक्षेप में, 'सी. आई. टी. (ए)'।

उस आधार पर पिछले वर्षों में पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाना है। कब

वास्तव में निर्धारित किया गया है लेकिन यह केवल देय हो गया है। द. अतः मालिक का अधिकार एक असंबद्ध अधिकार है। द.

मान लेने वाले प्रावधानों की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है जब तक कि आय

प्राप्य हो सकता है कि यह प्राप्य है, फिर का निर्धारण

सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में प्राप्त किया गया है या माना जाता है

प्राप्त करना लेखांकन की विधि पर निर्भर करता है। यदि वास्तव में

मुआवजे की राशि भूमि द्वारा तय नहीं की गई है।

अधिग्रहण कलेक्टर, कोई आय नहीं कहा जा सकता है

अपीलार्थी को हुआ. उस पर आयकर नहीं लगाया जाता है

कुछ मूर्त, कुछ ऋण की प्रकृति में, निश्चित भुगतान करने के लिए एक दायित्व की प्रकृति में कुछ

राशि। उस समय तक कोई आय नहीं कही जा सकती थी।

भले ही 1968 में भूमि का कब्जा ले लिया गया था, लेकिन कोई राशि नहीं कहा जा सकता है कि कब्ज़े की तारीख को उपार्जित किया गया क्योंकि

उस समय मुआवजे का निर्धारण बिल्कुल नहीं किया गया था। यह मुआवजे की राशि पुरस्कार के बाद ही निर्धारित की गई थी।

दिनांकित 29.9.70। अतः, यदि पूँजी के कारण कोई आय है।

पुरस्कार। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इससे उत्पन्न होने वाला पूँजीगत लाभ भूमि अधिग्रहण पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य है, प्रासंगिक

मूल्यांकन वर्ष पर विचार किया जा रहा है क्योंकि पुरस्कार की तारीख

यानी 29.9.70 प्रासंगिक पिछले वर्ष के भीतर है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

10. सी. आई. टी. (ए) द्वारा इस प्रकार पारित आदेश के विरुद्ध, निर्धारिती

लांट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की,

डीगर बेंच, आई. टी. ए. No.634/चंडी/84 होने के नाते और तर्क दिया, अन्य बातों के साथ, यह 1894 की धारा 17 के तहत तत्काल अधिग्रहण का मामला था और विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था।

. 1968 जब 1894 के उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना

मुकदमा दायर किया गया और इसलिए, सी. आई. टी. (ए) ने राज पाल सिंह बनाम की तारीख के आधार पर संदर्भ के तहत वर्ष के लिए सभी लाभों पर कर लगाने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिया गया पुरस्कार। यह भी तर्क दिया गया कि ब्याज राशि को अलग से नहीं माना जा सकता था और इसे मुआवजे की राशि के एक हिस्से के रूप में माना जाना आवश्यक था।

11. मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 से संबंधित इस प्रकार दायर अपील पर आई. टी. ए. टी. द्वारा अपने दिनांक 19.12.1985 के आदेश द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उसी तारीख को, यानी 19.12.1985 पर, आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी की एक और अपील पर भी विचार किया और निर्णय लिया। मूल्यांकन वर्ष 1975-1976, आई. टी. ए. No.635/चंडी/84 होने के नाते, जिसमें भी, के एक अन्य पुरस्कार से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का समान प्रश्न है

चूँकि मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 से संबंधित उक्त निर्णय ने वर्तमान अपील में प्रस्तुतियों का एक हिस्सा बनाया है, इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले उपयोगी रूप से इसकी प्रासंगिक विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं। 11.1 . ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित उक्त अपील में, पूंजीगत लाभ का प्रश्न निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उठाः

तथ्य यह है कि अपीलार्थी की भूमि का एक और अंश, गाँव रंगरनन में,

अंबाला शहर के गोदाम के निर्माण के उद्देश्य से 15 कनाल और 10 मरला की तहसील और जिला अंबाला का अधिग्रहण किया गया था। उस अधिग्रहण के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 26.06.1971 पर जारी की गई थी; उक्त भूमि का कब्जा 04.09.1972 पर लिया गया था; और मुआवजे का पुरस्कार 27.06.1974 पर किया गया था। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, आई. टी. ए. टी. ने इस तर्क को स्वीकार किया कि मामला 1894 के अधिनियम की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधान के तहत आता है, जिसमें निर्धारिती को संपत्ति का अधिकार से वंचित कर दिया गया था।

जो कब्जा लेने की तारीख 04.09.1972 से सरकार में निहित है। इस प्रकार, आई. टी. ए. टी. ने माना कि उक्त अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 के लिए प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए आकलन योग्य नहीं थे। मूल्यांकन वर्ष से संबंधित आई. टी. ए. 19.12.1985, आई. टी. ए. No.635/चंडी/84 में उक्त आदेश में आई. टी. ए. टी. के निष्कर्षों का सामग्री भाग निम्नानुसार हैः

“ 9 ..... इसलिए यह मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधान के तहत आता है। धारा 2 (47) के अर्थ के भीतर हस्तांतरण सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख को किया गया था। धारा 2 (47) (i) में प्रावधान है कि पूंजी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण में उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन शामिल है। अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि तत्काल [2020] 9 एस. सी. आर. में भूमि का कब्जा लेने के बाद।

ऐसे मामलों में, ऐसी भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित होगी जो सभी बाधाओं से मुक्त होगी। इसलिए, निर्धारिती को भूमि और उसके बाद सरकार में निहित भूमि का अधिकार डब्ल्यू. ई. एफ. 4-9-72 यानी भूमि के कब्जे की तारीख से विभाजित कर दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मूल्यांकन वर्ष 75-76 के लिए प्रासंगिक लेखांकन अवधि के लिए आकलन योग्य नहीं थे। कुल में शामिल पूंजीगत लाभ से आय

आई. टी. ओ. द्वारा आय और ए. ए. सी. द्वारा पुष्टि की गई और इसमें भी रुपये की वृद्धि हुई। 28,379 / - इसलिए, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। वही हटा दिया जाता है "।

12. निर्धारण वर्ष 1971-1972 पर लौटते हुए, यह देखा गया है कि इस मामले से संबंधित अपील में, आई. टी. ए. टी. ने अपने उपरोक्त का उल्लेख किया है।

निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित सम तिथि का आदेश लेकिन यह पाया गया कि वर्तमान मामले में, सरकार द्वारा कब्जा लेने की वास्तविक तिथि आने वाली नहीं थी और इसलिए, सरकार द्वारा कब्जा करने की तारीख का पता लगाने के लिए मामले को एओ की फाइल में बहाल करने के लिए आगे बढ़े, यह देखते हुए कि यदि कब्जा पुरस्कार से पहले और 01.04.1970 से पहले लिया गया था, तो पूंजीगत लाभ को निर्धारण वर्ष 1971-1972 की आय में शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन यदि कब्जा 01.04.1970 से 31.03.1971 की अवधि के दौरान लिया गया था, तो इस मूल्यांकन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ का आकलन किया जाएगा। वर्तमान से संबंधित आई. टी. ए. No.634/चंडी/84 में दिनांकित 19.12.1985 आदेश का सामग्री भाग

मामला इस प्रकार हैः

" 5. हमने प्रतिद्वंद्वी के समर्पण पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। आई. टी. ओ. के क्रम में उल्लिखित 15.5.68 में भूमि अधिग्रहण के लिए पहली अधिसूचना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार की तिथि 29.9.70 है जिसका उल्लेख आईटीओ के क्रम में भी किया गया है। सरकार द्वारा भूमि के कब्जे की वास्तविक तिथि का उल्लेख न तो आई. टी. ओ. के आदेश में किया गया है और न ही ए. ए. सी. के, हालांकि सुनवाई के समय निर्धारिती के विद्वान वकील ने कहा कि यह 15.5.68 पर था। ए. ए. सी. ने अपने आदेश के पैरा 10 में यह भी कहा है कि अधिसूचनाएं पुरस्कार की तारीख से बहुत पहले प्रकाशित की गई थीं और भूमि का कब्जा भी पुरस्कार की तारीख से पहले लिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पूंजीगत लाभ पर उस आधार पर पिछले वर्षों में कर लगाया जाना था। हालाँकि, उन्होंने सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा करने की वास्तविक तिथि निर्दिष्ट नहीं की है। राज पाल सिंह बनाम द्वारा दी गई तिथि।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

6. इसी तरह का मुद्दा निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में हमारे सामने विचार के लिए आया और आई. टी. ए. संख्या 635/चंडी में सम तिथि के हमारे आदेशों के माध्यम से हमने माना है कि यह एक ऐसा मामला था जो अधिनियम की धारा 17 के तहत आता है और इसलिए, पूंजीगत लाभ का आकलन इस आधार पर किया जाता था कि हस्तांतरण सरकार द्वारा भूमि के कब्जे की तारीख को किया गया था। चूंकि भूमि के कब्जे की वास्तविक तारीख उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारी राय है कि मामले को आई. टी. ओ. की फाइल में बहाल किया जाना चाहिए, जिसे भूमि के कब्जे की वास्तविक तारीख का पता लगाना चाहिए। सरकार द्वारा भूमि।
यदि भूमि का कब्जा सरकार द्वारा अधिनिर्णय की तारीख से पहले और 1 अप्रैल, 1970 से पहले लिया गया था, तो पूंजीगत लाभ को निर्धारण वर्ष की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि भूमि का कब्जा भी 1-4-70 से 31-3-71 की अवधि के दौरान लिया गया था, तो मूल्यांकन वर्ष 71-72 के लिए पूंजीगत लाभ का आकलन किया जाएगा। सरकार द्वारा कब्जे की वास्तविक तिथि का पता लगाने के बाद। आईटीओ, वह फिर से गणना करेगा

उपरोक्त आधार पर आय।

29.09.1970 , अपीलार्थी ने एल. ए. केस सं. में कार्यवाही शुरू की। 37 और 1971 का 38 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष, जिन्होंने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मुआवजे की राशि और संबंधित मुआवजे और ब्याज में मामूली वृद्धि की अनुमति दी। संतुष्ट नहीं। फिर भी, अपीलार्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1975 की नियमित प्रथम अपील संख्या 390 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें और वृद्धि की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने इस अपील को अपने दिनांकित 25.10.1985 के फैसले द्वारा स्वीकार कर लिया और रुपये की दर लागू करके मुआवजे का आदेश दिया।

प्रति वर्ग मीटर। yd. रुपये के खिलाफ। 3.50 और रु. 2.50 प्रति वर्ग मीटर। yd. , जैसा कि अनुमति दी गई है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर क्रमशः। उच्च न्यायालय ने 30 प्रतिशत ऋण और तदनुसार ब्याज की भी अनुमति दी।

मूल्यांकन के लिए कार्यवाही का दूसरा दौर

आयकर अधिकारी, 'सी' वार्ड, अंबाला द्वारा।

14. विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों, इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के पुरस्कार और मुआवजे की राशि में वृद्धि के साथ-साथ मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन के लिए कार्यवाही के पहले दौर पर ध्यान देने के बाद, अब हम आई. टी. ए. टी. द्वारा मामले को रिमांड पर लेने के बाद इस मूल्यांकन के लिए कार्यवाही के दूसरे दौर में पारित आदेशों पर ध्यान दे सकते हैं।

15. उपरोक्त आदेश में आई. टी. ए. टी. के निर्देशों के अनुपालन में

आई. टी. ए. No.634/चंडी/84 में दिनांक 19.12.1985 पर, ए. ओ. ने जी. आई. आर. संख्या 920 ए में मामला उठाया और 17.07.1987 पर, निर्धारिती-अपीलार्थी को उस तारीख के बारे में विशिष्ट प्रश्न दिया जिस पर हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया गया था। अपने दिनांक 22.07.1987 के जवाब में, अपीलार्थी ने कब्जे की ऐसी तारीख 15.05.1968 बताई, जो कि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख है। हालाँकि इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने पीटर जॉन बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। आय-कर आयुक्तः (1986) 157 आई. टी. आर. 711 में कहा गया है कि पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, उस समय उत्पन्न होता है जब भूमि सरकार में निहित होती है और वर्तमान मामले में ऐसी तारीख 15.05.1968 थी। इसके अलावा, दिनांक 28.09.1987 और 11.01.1988 के संचार के माध्यम से, ए. ओ. ने निर्धारिती-अपीलार्थी से ब्याज की सटीक तिथि-वार गणना देने के लिए कहा।

15.1 . चूंकि अपीलकर्ता साक्ष्य के साथ आवश्यक जानकारी सामने लाने में असमर्थ था, इसलिए एओ ने राजस्व अधिकारियों से भी पूछताछ की, विशेष रूप से कब्जा करने की तारीख के बारे में। जवाब में, ए. ओ. को जानकारी मिली कि विचाराधीन भूमि कॉलेज के साथ पट्टे पर थी और अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, तारीख 10 रिकॉर्ड पर सामग्री के रूप में, उच्च न्यायालय ने 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से कब्जा करने की तारीख तक भूमि के प्रति बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी। एक वर्ष के लिए कब्जे की तारीख के बाद 9 प्रतिशत प्रति वर्ष; और उसके बाद 15 प्रतिशत पी. ए.

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सरकार द्वारा कब्जा लेना उस तारीख के अनुरूप था जब पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

15.2 . ए. ओ. ने अपने पुनर्निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.1988 में इस मामले के सभी तथ्यों और विशेषताओं पर ध्यान दिया और कहा कि 'चूंकि तत्काल मामले में, पुरस्कार की घोषणा 29.09.1970 पर की गई थी, इसलिए उक्त तिथि अर्थात 29.09.1970 को अधिकार लेने की तारीख माना जाता है। सरकार द्वारा '। मामले के इस दृष्टिकोण में, ए. ओ. ने कहा कि 'पूंजीगत लाभ की करयोग्यता पिछले वर्ष में विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक थी'।

15.3 . ए. ओ. के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि अधिग्रहण तत्काल प्रकृति का था, जैसा कि मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 के लिए प्रासंगिक अन्य अधिग्रहण के संबंध में था। एओ ने अधिग्रहण के विभिन्न उद्देश्यों के कारण इस तरह के सुझाव को गलत पाया; और मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 से संबंधित उक्त मामले में कब्जा लेने की विशिष्ट तिथि (04.09.1972) का उल्लेख किया गया है। ए. ओ. ने यह भी देखा कि अपीलकर्ता 1894 के अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख को रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहा और कहा कि वर्तमान मामले में तत्काल अधिग्रहण का कोई संदर्भ नहीं था और न ही दिनांकित आई. डी. 1 में ऐसा कोई उल्लेख पाया गया था। में

परिस्थितियों को देखते हुए, ए. ओ. ने माना कि विचाराधीन अधिग्रहण 1894 के अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता का विषय नहीं था और यह

अधिग्रहण केवल 'सामान्य शक्तियों' के तहत था।

15.4 . उपरोक्त निष्कर्षों के साथ, ए. ओ. ने अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर अपीलार्थी के कर दायित्व का आकलन करने के लिए दिनांकित 29.09.1970 के पुरस्कार में अनुमत मुआवजे की राशि के आधार पर आगे बढ़े।

दिनांकित उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप अंत में उपार्जित क्षतिपूर्ति

30.12.1984 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 25.10.1985 दिनांकित निर्णय। जहां तक ब्याज आय का संबंध है, ए. ओ. ने प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया, यानी 01.04.1970 से 31.03.1971 की अवधि के लिए यह प्रावधान करते हुए कि ऐसी गणना यदि आवश्यक हो तो संशोधन के अधीन होगी।

आयकर आयुक्त (अपील), करनाल के समक्ष

16. पुनः निर्धारण दिनांक 25.01.1988 के उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा अपील संख्या 87/87-88 में CIT (A) के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस अपील पर सी. आई. टी. (ए) ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 31.03.1989 के माध्यम से विचार किया और खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.1 . सी. आई. टी. (ए) के समक्ष सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि आई. टी. ए. टी. ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश द्वारा केवल ए. ओ. की फाइल पर कब्जे की तारीख के संबंध में मुद्दे को बहाल किया था और इसलिए, ए. ओ. को कार्यवाही में उचित नहीं ठहराया गया था जैसे कि एक नया मूल्यांकन करना; और मुआवजे की बढ़ी हुई राशि को कर में लाने में उचित नहीं था, जिसके लिए उसे 1961 के अधिनियम की धारा 155 (7 ए) के तहत एक अलग आदेश पारित करना चाहिए था। इस विवाद के संबंध में, सी. आई. टी. (ए) ने उल्लेख किया कि निर्विवाद रूप से, पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, आई. टी. ओ. के पास आई. टी. ओ. द्वारा प्राप्त बढ़े हुए मुआवजे को ध्यान में रखने की शक्ति थी।

भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अपीलार्थी; और कब आई. टी. ओ. कर सकता था धारा 155 (7 ए) के तहत एक अलग आदेश तैयार किया है, वह आई. टी. ए. टी. के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने आदेश के साथ इस तरह के आदेश को जोड़ने की शक्तियों के भीतर था। इसलिए, आदेश के ढांचे पर विवाद को खारिज कर दिया गया।

16.2 . इसके बाद सी. आई. टी. (ए) ने इस मुद्दे पर मामले के तथ्यों पर व्यापक रूप से विचार किया कि क्या आई. टी. ओ. ने यह सही माना था कि

अपीलार्थी की अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि का कब्जा सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान लिया गया था जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक था। सी. आई. टी. (ए) ने अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत अनिवार्य अधिग्रहण का मामला नहीं था; और यह कि

15.05.1968 से ब्याज देना पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं था, विशेष रूप से जब ऐसा ब्याज 1894 के अधिनियम की धारा 28 के तहत दिया जा सकता था। सी. आई. टी. (ए) ने आगे कहा कि कॉलेज अनधिकृत कब्जे में रहा। 31.08.1967 पर पट्टे की समाप्ति के बाद विचाराधीन भूमि, लेकिन यह केवल पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 पर ही था कि कब्जा कानूनी रूप से पारित किया गया था।

कॉलेज के माध्यम से स्वामित्व के साथ इसे निहित करने के लिए

सरकार। सी. आई. टी. (ए) की प्रासंगिक टिप्पणियों और निष्कर्षों को दिनांकित 31.03.1989 के क्रम में उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 9 ..... यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सरकार की आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भूमि पर कब्जा करने के लिए

अनिवार्य रूप से अधिग्रहित, की धारा 11 के तहत पुरस्कार की तारीख से पहले इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन नहीं किया गया। न ही सरकार की ओर से कोई निर्देश है। कब्जा लेने के लिए कलेक्टर को

इससे पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की तारीख और न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के बाद कलेक्टर द्वारा कब्जा लिया गया था।

राज पाल सिंह बनाम। आय-कर आयुक्त,

हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ये दो शर्तें बिल्कुल आवश्यक हैं यदि अधिकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत लिया जाना था। एस. ए. जैन कॉलेज अंबाला के पास पहले से मौजूद भूमि के कब्जे को स्पष्ट रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 के तहत तत्काल मामले में नियमित कर दिया गया था जो भूमि का कब्जा लेने के लिए सामान्य धारा है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित। का अधिकार

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 के तहत अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा ली जा सकती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की तारीख के बाद ही जो तत्काल मामले में 29.9.70 थी।

इसलिए, यह केवल 29.9.70 पर है कि कानूनी रूप से कब्जा

एस. ए. जैन कॉलेज, अंबाला में उत्तीर्ण किया ताकि एस. ए. जैन कॉलेज सिटी में संपत्ति का स्वामित्व

सरकार. . ... यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत भूमि का कब्जा ले लिया गया होता, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के बाद की तारीख से ही अपीलार्थी को ब्याज दिया जाता, जबकि तत्काल मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से ब्याज दिया गया है। यह दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की तारीख से पहले की तारीख से अपीलार्थी को ब्याज दिया गया था, जो कि दिनांकित है, इसलिए नहीं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत कब्जा ले लिया गया था, बल्कि विभिन्न न्यायालयों के कारण, निर्णयों का मानना है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि धारा 11 की न्यायसंगत व्याख्या पर। 28 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, उन मामलों में भी कब्जा की तारीख से ब्याज दिया जाना चाहिए जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की तारीख से पहले कब्जा ले लिया गया था, भले ही कब्जा

की सहमति के साथ या उसके बिना अनधिकृत या लिया गया था

मकान मालिक।

10. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि

कानूनी रूप से पारित तत्काल मामले में भूमि का कब्जा सरकार के माध्यम से एस. ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर। उस पर

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार की तिथि और यह

केवल इस तारीख को भूमि में स्वामित्व मिला है

सरकार में निहित। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह तथ्य कि एस. ए. जैन कॉलेज, अंबाला पहले से ही अनधिकृत कब्जे में था

भूमि और वह ब्याज अपीलार्थी को उस अवधि के कुछ हिस्से से दिया गया है जिसके दौरान एस. ए. जैन कॉलेज, अंबाला भूमि के अनधिकृत कब्जे में था, उपरोक्त [2020] 9 एस. सी. आर. को प्रभावित नहीं करेगा।

इन भूमि पर इस वर्ष कर लगाया जाना है और यह सही भी है। कर लगाया। इस मुद्दे पर विद्वान आई. टी. ओ. के आदेश को भी बरकरार रखा गया है।

11 ..... चूँकि मैं पहले ही मान चुका हूँ कि विद्वान आई. टी. ओ. उचित था

अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्राप्त किया गया, क्योंकि पूंजीगत लाभ की गणना, मेरा मानना है कि अपीलार्थी का कोई मामला नहीं है

Rs.27255/- की ब्याज राशि के संबंध में जैसा कि उल्लेख किया गया है

अपील सं. 4,6,7 के संबंध में तर्क दिए गए हैं। अपील के मूल आधारों में से अपील के ये आधार हैं -

इसलिए, अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसके बावजूद, इसमें कुछ भी गलत नहीं है इस संबंध में विद्वान आई. टी. ओ. का आदेश।

नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

17. सी. आई. टी. (ए) द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होकर,

अपीलार्थी ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी, जो आई. टी. ए. संख्या 739 (चंडी) 89 थी, जिसमें विचार के लिए अनिवार्य रूप से तीन मुद्दे उठाए गए थे, अर्थात् (i) सरकार द्वारा विचाराधीन भूमि के भौतिक कब्जे को लेने की तारीख के बारे में; (ii) आई. टी. ए. टी. के आदेश के संदर्भ में आय की पुनः गणना करने के बजाय पुनः मूल्यांकन तैयार करने की आई. टी. ओ. की शक्ति के बारे में

रिमांड; और (iii) आई. टी. ओ. द्वारा पुनर्मूल्यांकन में बढ़े हुए मुआवजे और ब्याज आदि को शामिल करने के विरुद्ध। इस अपील पर विचार किया गया और आई. टी. ए. टी. द्वारा अपने दिनांक 29.06.1990 के आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई।

17.1 . आई. टी. ए. टी. ने तारीख से संबंधित पहला मुद्दा उठाया

विचाराधीन भूमि का भौतिक कब्जा लेने और प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह पाया गया कि हालांकि इसने पहले आई. टी. ओ. को कब्जे की वास्तविक तारीख का पता लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जहां इस तारीख के बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष निकालना मुश्किल था। आई. टी. ए. टी. ने इस प्रकार देखाः

" 12. पीठ का निर्देश पहले निर्धारण के लिए था -

अधिकार की वास्तविक तिथि। एल. डी. आई. टी. ओ. अपने तरीके से राज पाल सिंह वी. के पास आया।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह निष्कर्ष कि अधिनिर्णय की तारीख अधिकार की तारीख थी जबकि निर्धारिती का मामला अधिसूचना की तारीख पर निर्भर करता है। दोनों तिथियों को गलत समझा जाता है क्योंकि भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा पहले से ही कॉलेज के पास था, एक पट्टे के तहत, 1.1.47 के बाद से। इस प्रकार अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप केवल कुछ प्रतीकात्मक या रचनात्मक कब्जा लिया जाना था क्योंकि भौतिक कब्जा पहले से ही था। चुनौती के तहत आदेश के संदर्भ में और साथ ही मूल्यांकन आदेश और कानून की स्थिति के संदर्भ में, स्वामित्व का आदान-प्रदान पुरस्कार की तारीख से होता है जो वर्तमान मामले में 29.9.70 है, लेकिन इस संबंध में एक दृढ़ निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, हमें दिनांक 19.12.85 की पीठ के पहले के निष्कर्ष को ध्यान में रखना होगा जिसमें यह देखा गया था कि कब्जे की वास्तविक तारीख का पता लगाया जाना चाहिए और उस वर्ष में पूंजीगत लाभ का आकलन किया जाना चाहिए जिसमें कब्जा लिया गया था। अभिलेख पर मौजूद जटिल तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए इस पहलू का निर्धारण थोड़ा कठिन है। हम 29.9.70 नहीं ले सकते क्योंकि संदेह की तारीख (sic) पर पुरस्कार दिया गया था लेकिन कब्जा पहले से ही कॉलेज के पास था। हम 15.5.68 भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिसूचना थी लेकिन उस तारीख से पहले कॉलेज पट्टे के तहत भूमि के कब्जे में था। इस प्रकार स्पष्ट निष्कर्ष निकालना मुश्किल है।

17.2 . यह कहने के बाद, आई. टी. ए. टी. ने "भूमि के कब्जे" के बारे में टिप्पणियों का उल्लेख किया, जैसा कि दिनांकित पुरस्कार में होता है।

29.09.19701 1 और उन्होंने पाया कि पुरस्कार में उन टिप्पणियों के अनुसार, विचाराधीन भूमि का कब्जा 15.05.1968 पर लिया गया था। आई. टी. ए. टी. ने आगे कहा कि विवाद को हल करने के लिए, पुरस्कार में इस तरह की शर्त पर निर्भर होना आवश्यक था; और वास्तविक भौतिक कब्जे की तारीख पक्षों के इरादे और पुरस्कार में इस तरह की शर्त की भाषा से अनुमानित थी। इस तर्क पर, आई. टी. ए. टी. ने कहा कि चूंकि वास्तविक भौतिक कब्जे का आदान-प्रदान 15.05.1968 पर किया गया था, इसलिए लेनदेन को उस तारीख को हुआ माना जाना चाहिए न कि पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 पर। और इसलिए, विचाराधीन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगाया जाना था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, आई. टी. ए. टी. ने माना कि पूंजीगत लाभ के आकलन के आधार को ही समाप्त कर दिया गया है, अन्य मुद्दों को निरर्थक बना दिया गया है। तदनुसार, आई. टी. ए. टी. ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ अपील की अनुमति दीः

11 पैराग्राफ 7.1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कब्जा (स्वामित्व) का आदान-प्रदान 15.5.68 पर किया गया, लेनदेन को उस तारीख को हुआ माना जाना चाहिए न कि 29.9.70 पर पुरस्कार की तारीख को। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम पक्षों के इरादे और निर्णय में इस उल्लेख पर निर्भर हैं कि ब्याज केवल उस तारीख से निर्धारिती को देय हो गया था, न कि किसी अन्य तारीख से। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विचाराधीन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ का आकलन इस प्रकार नहीं किया जा सकता हैः लेन-देन 15.5.68 पर हुआ था। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों को विचाराधीन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ को शामिल करना उचित नहीं था और एल. डी. (सी. आई. टी. (ए) इस तरह की कार्रवाई की पुष्टि करना उचित नहीं था। हम इस पहलू के निष्कर्ष को छोड़ देते हैं। राजस्व अधिकारी इस संबंध में मामले को देखने के लिए स्वतंत्र हैं।

कब्ज़े की तारीख को 15.5.1968 के रूप में लेते हुए पूंजीगत लाभ। भौतिक कब्जा लेने की विस्थापन या वास्तविक तिथि को वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में इस प्रकार समझा जाना चाहिए - स्वामित्व का परिवर्तन क्योंकि कब्जा पहले से ही पट्टे के तहत कॉलेज के पास था।

15. चूंकि हमने माना है कि विचाराधीन वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, इसलिए इससे जुड़े अन्य मुद्दे

निर्धारिती द्वारा उठाए गए और उठाए गए पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि आधार ही नीचे गिर गया है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

18. अपील में इस तरह से पारित आदेश के खिलाफ आपत्ति जताते हुए, राजस्व ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष एक आवेदन किया जिसमें 1961 के अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत उच्च न्यायालय। आई. टी. ए. टी. ने अपने दिनांक 1 के आदेश में सभी प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया और इसे संदर्भ देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाए जाने के बाद, मामले का बयान तैयार किया और मामले को निम्नलिखित प्रश्न के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय को भेजाः

" चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करना सही था कि पूंजीगत लाभ विचाराधीन वर्ष में आकलन योग्य नहीं हैं क्योंकि लेन-देन अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पर नहीं हुआ था।

29.09.1970 पर पुरस्कार की तारीख?

उच्च न्यायालय में संदर्भ कार्यवाही

19. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1991 के आयकर संदर्भ No.53-A में अपने विवादित निर्णय और दिनांक 23.04.2008 आदेश द्वारा उपरोक्त प्रश्न पर विचार किया और उसका उत्तर दिया।

19.1 . उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पूंजी के हस्तांतरण से होने वाला कोई भी लाभ या लाभ

पूर्ववर्ष में निहित परिसंपत्ति को उस पूर्ववर्ष की आय माना जाएगा जिसमें अंतरण किया गया था और इस प्रकार यह उस वर्ष की आय के अंतर्गत आएगी जिसमें अंतरण किया गया था। 1961 के अधिनियम की धारा 45 (1) की सीमा; और इस प्रकार, गणना के उद्देश्य से पुरस्कार की तारीख 29.09.1970 पर विचार किया जाना चाहिए।

पूंजीगत लाभ और अधिसूचना की तारीख नहीं यानी 15.05.1968। इन प्रस्तुतियों के विपरीत, निर्धारिती-अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्दिष्ट प्रश्न का निर्णय आई. टी. ए. टी. द्वारा अपने दिनांकित 19.12.1985 आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में किया जाना आवश्यक था। और यह कि यह तत्काल अधिग्रहण का विषय था जहां भूमि का कब्जा अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पर लिया गया था और इसलिए, 1894 के अधिनियम की धारा 17 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, हस्तांतरण उस तारीख (15.05.1968) को हुआ था, न कि पुरस्कार की तारीख (29.09.1970) को।

19.2 . प्रतिद्वंद्वी दलीलों, इस मामले के तथ्यों और 1894 के अधिनियम की योजना, विशेष रूप से इसकी धारा 16 और 17 को ध्यान में रखने के बाद, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में संदर्भ का जवाब देते हुए कहा कि कलेक्टर ने 1894 के अधिनियम की धारा 17 के तहत भूमि पर कब्जा नहीं किया था और उक्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे [2020] 9 एस. सी. आर. का निर्णय दिया।

कि पूंजीगत लाभ के निर्धारण के उद्देश्य से, पुरस्कार की तिथि

(अर्थात्, 29.09.1970) को कब्जा लेने की तारीख के रूप में लिया जाना आवश्यक था क्योंकि उस तारीख को, 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत विचाराधीन भूमि सरकार में निहित थी। 19.3 . उच्च न्यायालय ने 1961 के अधिनियम की धारा 45 के दायरे और दायरे की आगे जांच की और 1894 के अधिनियम की धारा 16 के साथ इसके संयुक्त अध्ययन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूंजीगत संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण और सरकार में इसका निहित होना अधिनिर्णय की तारीख 29.09.1970 पर हुआ था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत, कोई आय केवल तभी कर के लिए प्रभार्य होती है जब वह उस वर्ष में उपार्जित हुई हो या उपार्जित हुई हो।

निर्धारण; और वर्तमान मामले में, यदि पूंजीगत लाभ के कारण कोई आय कर के लिए प्रभार्य थी, तो यह उस तारीख को प्रभार्य होगी जब कलेक्टर मुआवजे का निर्धारण करेगा क्योंकि अपीलार्थी को उपार्जित आय केवल इस तरह के निर्धारण पर होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ थे विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य क्योंकि पुरस्कार की तिथि अर्थात 29.09.1970 संबंधित पिछले वर्ष के भीतर आती है।

19.4 . तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के दिनांकित 29.06.1990 के आदेश को अस्वीकार कर दिया और राजस्व के पक्ष में संदर्भ का जवाब दिया।

धारण करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसारः

" 13 ..... आयकर अधिनियम की धारा 45 (1) से यह स्पष्ट है कि पूंजीगत लाभ उस पिछले वर्ष में पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले आय-कर के लिए प्रभार्य हैं जिसमें हस्तांतरण हुआ था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 और अधिनियम की धारा 45 (1) को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पूंजीगत संपत्ति (निर्धारिती की भूमि) के हस्तांतरण को 29.09.1970 के रूप में लिया जाना चाहिए, यानी अधिनिर्णय की तारीख जिस तारीख को भूमि अधिग्रहित की गई है।

राज्य में निहित।

14. आयकर अधिनियम के तहत, एक आय के लिए प्रभार्य है

कर केवल तभी लगाया जाता है जब यह निर्धारण के वर्ष में अर्जित होता है या उपार्जित माना जाता है या उत्पन्न होता है। डीमिंग प्रावधान की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है जब तक कि आय प्राप्य न हो और यदि यह प्राप्य है, तो इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या यह वास्तव में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया गया है, इस पर निर्भर करता है -

लेखांकन की विधि। यदि मुआवजे की वास्तविक राशि

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा तय नहीं किया गया है, नहीं राज पाल सिंह बनाम।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह कहा जा सकता है कि आय अपीलार्थी को उपार्जित हुई है। यह.

यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि निर्धारिती द्वारा केवल दावा सरकार द्वारा कब्जा लेने के बाद। एक विशेष दर पर

क्षतिपूर्ति है। यह वास्तव में द्वारा दी गई राशि है कलेक्टर उस तारीख को उपार्जित होता है जिस दिन पुरस्कार दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति। कुछ मूर्त होना चाहिए, कुछ में ऋण की प्रकृति, भुगतान करने के दायित्व की प्रकृति में कुछ

एक निश्चित राशि। तब तक कोई आय नहीं कही जा सकती है।

क्षतिपूर्ति, यह केवल वही राशि है जो उपार्जित हुई थी। यह मुआवजे की राशि केवल पारित होने पर निर्धारित की गई थी

पुरस्कार तिथि 29.09.70। अतः, यदि इसके कारण कोई आय

पूंजीगत लाभ कर के लिए प्रभार्य है, यह उस तारीख को प्रभार्य होगा

पुरस्कार से। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इससे उत्पन्न होने वाला पूँजीगत लाभ

भूमि का अधिग्रहण पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य है

मूल्यांकन वर्ष पर विचार किया जा रहा है क्योंकि पुरस्कार की तारीख

यानी 29.09.70 प्रासंगिक पिछले वर्ष के भीतर है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

20. 23.4.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित होना

उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विचाराधीन अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ निर्धारण वर्ष में कर के लिए प्रभार्य थे, निर्धारिती-अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को प्राथमिकता दी है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी

21. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, विद्वान वकील

क्योंकि अपीलार्थी ने अनिवार्य रूप से दो तरह के तर्क दिए हैं: एक, तथ्यों पर और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, जहां

विचाराधीन भूमि पहले से ही लाभार्थी कॉलेज के कब्जे में थी, निर्धारिती-अपीलार्थी को 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के साथ इस संपत्ति के अपने अधिकार और अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जब राज्य ने अधिग्रहण को तत्काल लिया था; और 1961 के अधिनियम की धारा 2 (47) के उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण उस अधिसूचना की तारीख को ही पूरा हो गया था। ई. , 15.05.1968 पर और इसलिए, उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ

इस तरह के अधिग्रहण और अर्जित ब्याज से पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर नहीं लिया जा सकता था।

दूसरा,

यह [2020] 9 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारण वर्ष से संबंधित वर्तमान मामले में आई. टी. ए. टी. के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए राजस्व खुला नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निर्धारण वर्ष के संबंध में अपीलार्थी के अन्य मामले के समान है, जहां इसी मुद्दे का निर्णय आई. टी. ए. टी. द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था और राजस्व ने इसे आगे चुनौती नहीं देकर उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया था। 21.1 . दलीलों के पहले अंग पर विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निर्विवाद रूप से, विचाराधीन भूमि

जब राज्य सरकार ने जारी करके इसके अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की थी तब से ही लाभार्थी कॉलेज के कब्जे में था आई. डी. 2 पर 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना; और अपीलार्थी को तुरंत विचाराधीन भूमि के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जैसा कि दिनांकित आई. डी. 1 में "भूमि के कब्जे" के बारे में पाठ द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया था, जहां अपीलार्थी को मुआवजे की राशि पर ब्याज और आई. डी. 2 से मुआवजे की राशि की अनुमति दी गई थी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, हस्तांतरण, 1961 के अधिनियम की धारा 2 (47) के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पर पूरा हो गया था और पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, तो केवल अधिसूचना की उस तारीख को संदर्भित पिछले वर्ष के लिए लिया जा सकता था और इसके साथ नहीं

पुरस्कार की तारीख का संदर्भ। 21.1. 1 . इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान वकील ने मामले में केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया है

पीटर जॉन (ऊपर) यह प्रस्तुत करने के लिए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में, संपत्ति का मालिक उस दिन मुआवजे का हकदार है जिस दिन उसे बेदखल किया जाता है; और यह कि ऐसा अधिकार भूमि अधिग्रहण अधिकारी या न्यायालय द्वारा मुआवजे की मात्रा की प्रतीक्षा नहीं करता है। विद्वान वकील के अनुसार, मामले में इन सिद्धांतों को लागू करने पर, मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 की पूंजीगत लाभ का आकलन करने के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है; और एकमात्र प्रासंगिक तिथि 15.05.1968 है, जब अपीलार्थी को कानूनी रूप से विचाराधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया था और उसमें उसके अधिकार समाप्त हो गए थे।

21.1. 2 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने रमा बाई के मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आगे तर्क दिया है।

आय-कर आयुक्त, आंध्र प्रदेशः (1990) 181 आई. टी. आर. 400, कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में ब्याज आय साल-दर-साल उपार्जित होती है और इसके उपार्जित होने के संबंधित वर्ष में कर योग्य है; और, वर्तमान मामले में, चूंकि कब्जा 15.05.1968 पर लिया गया था, पूंजीगत लाभ और उपार्जित ब्याज केवल निर्धारण वर्ष 1969-1970 में कर योग्य थे, न कि निर्धारण वर्ष 1971-1972 में।

21.2 . प्रस्तुतियों के दूसरे अंग में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने 19.12.1985 दिनांकित आदेश का उल्लेख किया है, जैसा कि द्वारा पारित किया गया है

मूल्यांकन वर्ष के लिए आई. टी. ए. सं. 635/सी. एच. डी./84 में आई. टी. ए. टी. ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की किसी अन्य भूमि के अधिग्रहण से संबंधित समान तथ्यों और परिस्थितियों में आई. टी. ए. टी. ने विशेष रूप से निर्णय लिया है कि पूंजीगत लाभ अधिनिर्णय की तारीख से संबंधित नहीं थे, बल्कि बेदखल करने की तारीख से संबंधित थे। और राजस्व ने वास्तव में उक्त निर्णय को आगे चुनौती नहीं देते हुए स्वीकार कर लिया। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए। आयकर आयुक्तः (2004) 266 आईटीआर 99, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जहां एक ही निर्धारिती के पक्ष में और इसी तरह के मामले में राजस्व के खिलाफ पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, राजस्व बिना किसी उचित कारण के दूसरे मामले के संबंध में मुद्दे को फिर से खोलने की मांग नहीं कर सकता है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 के लिए समान मामले के संबंध में लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले को पूरी तरह से शामिल करता है और राजस्व मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के संबंध में एक अलग रुख नहीं ले सकता है।

21.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनिर्णय के अनुसार 15.05.1968 पर उपार्जित ब्याज आय और ऋण राशि और इसलिए, कर की जाने वाली आय वित्तीय वर्ष 1968-1969 से संबंधित है, जो निर्धारण वर्ष 1969-1970 के लिए प्रासंगिक है और उसी पर निर्धारण वर्ष 1971-1972 में कर नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, आई. टी. ए. टी. ने मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 में विचाराधीन अधिग्रहण से संबंधित आय की करयोग्यता के खिलाफ सही दृष्टिकोण अपनाया था और उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के दृष्टिकोण को पलटने में स्पष्ट त्रुटि की है।

उत्तरदाता

22. इसके विपरीत, राजस्व के लिए विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुतियों के साथ कि वर्तमान मामले में, पूंजी परिसंपत्ति अर्थात निर्धारिती की भूमि का हस्तांतरण केवल निर्धारण वर्ष 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के भीतर आने वाले पुरस्कार की तारीख को किया गया था।

22.1 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने संदर्भित किया है

1961 के अधिनियम में "पूंजी परिसंपत्ति" और "हस्तांतरण" की परिभाषाओं में तर्क दिया गया है कि हालांकि विषय भूमि का कब्जा वर्ष 1968 में कॉलेज के पास था और इस तरह जारी रहा, लेकिन अधिसूचना की तारीख को निर्धारिती को अर्जित भूमि के हस्तांतरण के कारण कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थात, 15.05.1968 [2020] 9 एस. सी. आर.

क्योंकि, प्रासंगिक समय पर, मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया था; और यह केवल 29.09.1970 दिनांकित पुरस्कार में निर्धारित किया गया था। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, आय-कर के लिए प्रभार्य पूंजीगत लाभ केवल पुरस्कार की तारीख को अर्जित किया जाता है और इस स्थिति में, अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है।

22.2 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने इन प्रस्तुतियों पर आगे विस्तार से बताया है कि विचाराधीन अधिग्रहण के तहत नहीं था 1894 के अधिनियम की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधान क्योंकि

इसके तहत, सरकार को धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद कलेक्टर को कब्जा करने का निर्देश जारी करना था, लेकिन वर्तमान मामले में सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में कब्जा लेने के लिए एकमात्र लागू प्रावधान 1894 के अधिनियम की धारा 16 था, जिसके तहत, धारा 11 के तहत अधिनिर्णय करने के बाद कलेक्टर द्वारा कब्जा लिया जा सकता था और उसके बाद ही अधिग्रहण के तहत भूमि सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित होती है। विद्वान वकील का कहना होगा कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, कब्जा कानूनी रूप से सरकार के माध्यम से कॉलेज को केवल 29.09.1970 यानी पुरस्कार की तारीख को दिया गया था; और अधिनिर्णय की यह तिथि ही उसके विरुद्ध कर की प्रभार्यता के लिए प्रासंगिक होगी।

पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के साथ निर्धारिती का पूंजीगत लाभ। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने जोगिंदर सिंह और अन्य सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है। वी. पंजाब और अन्न राज्य। : ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 382 और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग

निगम लिमिटेड बनाम। आय-कर आयुक्तः (1988) 169 आईटीआर 148।

22.3 . राजस्व के लिए विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि बर्जर पेंट्स (उपरोक्त) के मामले में अपीलार्थी द्वारा निर्भरता पूरी तरह से गलत है क्योंकि उक्त मामला धारा के तहत व्यावसायिक व्यय से संबंधित है।

341961 के अधिनियम का बी और वर्तमान मामले से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

निर्धारण के लिए बिंदु

23. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से स्कैन किया है। प्रस्तुतियों और निर्णय/आदेशों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए

विचार करते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उत्पन्न होते हैंः

- राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

1. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत लाभ 1961 का, 15.05.1968 पर पूरा हुआ, अधिसूचना की तारीख

1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण; और इसलिए, पूंजी

इस तरह के अधिग्रहण से होने वाले लाभ और अर्जित ब्याज

पुरस्कार की तारीख के संदर्भ में कर नहीं लगाया गया है

अर्थात, 29.09.1970?

2. क्या वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति समान है

के संबंध में अपीलार्थी के अन्य मामले में

निर्धारण वर्ष 1975-1976 जहाँ समान मुद्दा संबंधित है

आई. टी. ए. टी. द्वारा पूंजीगत लाभ अर्जित करने की तारीख तय की गई थी।

द्वारा कब्जा लेने की तारीख के संदर्भ में अपीलार्थी का

सरकार; और उसी को चुनौती नहीं दी है, यह नहीं है

आई. टी. ए. टी. के समान निर्णय पर सवाल उठाने के लिए राजस्व के लिए खुला

आकलन वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामला?

24. विवाद से उचित तरीके से निपटने के लिए, हम कर सकते हैं

आय-कर अधिनियम, 1961 में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें, जो निर्धारण वर्ष 1971-1972 पर लागू होते हैं, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भी, जो प्रासंगिक समय पर मौजूद हैं।

वैधानिक प्रावधान

25. आय-कर अधिनियम, 1961 में, आय के शीर्ष

कुल आय की गणना के उद्देश्य को धारा 14 में परिभाषित किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ शीर्षक "ई. पूंजीगत लाभ" भी शामिल है। अध्याय IV के भाग-ई में पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ से संबंधित प्रावधान हैं। वर्तमान अपील के प्रयोजन के लिए, धारा 45 में निहित कर के लिए पूंजीगत लाभ की प्रभार्यता से संबंधित प्रावधान और

1961 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (47) में होने वाली "हस्तांतरण" अभिव्यक्ति की परिभाषा प्रासंगिक है और ये प्रावधान, जो निर्धारण वर्ष 1971-1972 पर लागू होते हैं, निम्नानुसार थे। 12 1 2: . 1 2 दिनांक 25.01.1988 के पुनर्मूल्यांकन आदेश में, ए. ओ. ने पूंजीगत लाभ की मात्रा की गणना और इस समावेश के लिए बढ़े हुए मुआवजे की राशि को शामिल किया था

सी. आई. टी. (ए) के समक्ष पूछताछ की गई थी, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बढ़े हुए मुआवजे के संबंध में, ए. ओ. 1961 के अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (7ए) के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर आदेश पारित कर सकता था। यद्यपि, यह पहलू वर्तमान अपील में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, लेकिन संदर्भ के लिए, हम संकेत दे सकते हैं कि अधिनियम की धारा 155 मूल्यांकन के संशोधन की शक्ति से संबंधित है; और इसमें उप-धारा (7ए) को वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से 01.04.1974 से जोड़ा गया था और इसे 1988 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा 01.04.1992 से हटा दिया गया था। [2020] 9 एस. सी. आर. की यह उप-धारा (7ए)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा 45। पूँजीगत लाभ। - से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ या लाभ पिछले वर्ष में प्रभावी पूंजी परिसंपत्ति का अंतरण,

आय के लिए प्रभार्य-"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत कर, और पिछले वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें

स्थानांतरण हुआ।

" पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में धारा 2 (47) "हस्तांतरण" में शामिल हैं -

परिसंपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग या

उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन या अनिवार्य अधिग्रहण

किसी भी कानून के तहत;

26. भूमि द्वारा परिकल्पित प्रक्रियाओं के अवलोकन के लिए

भूमि का वैध अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहण अधिनियम, 1894, हम उसमें प्रासंगिक प्रावधानों के प्रमुख भागों पर एक नज़र डाल सकते हैं, जो प्रासंगिक समय पर मौजूद हैं।

26.1 . अधिग्रहण की प्रक्रिया, जैसा कि भाग II में निहित है

धारा 4,5 ए, 6,9,11 और 16, जो क्रमशः 'प्रारंभिक जांच', 'आपत्तियां', 'इच्छित अधिग्रहण की घोषणा', 'कलेक्टर द्वारा मापन, मूल्य और दावों की जांच, और पुरस्कार' और 'कब्जा लेना' शीर्षकों के तहत आती हैं। ये प्रावधान या उनके प्रासंगिक भाग, जो प्रश्नगत अधिग्रहण पर लागू होते हैं, निम्नानुसार थेः धारा 155, जो एओ द्वारा आदेश पारित करने के प्रासंगिक समय पर मौजूद थी, निम्नानुसार थीः

" (7(क) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी पूंजी संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजीगत लाभ, जो किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से हस्तांतरण है, या उस हस्तांतरण से जिसके लिए केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया था, की गणना धारा 48 के तहत की जाती है और ऐसे अधिग्रहण के लिए मुआवजे या ऐसे हस्तांतरण के लिए विचार को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया या और बढ़ाया जाता है, तो गणना या, जैसा भी मामला हो, पहले की गई गणनाओं को गलत तरीके से किया गया माना जाएगा और निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 48 के अनुसार मुआवजे या बढ़े हुए या आगे बढ़े हुए विचार को लेकर ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ की पुनः गणना करेगा।

अंतरण करेगा और आवश्यक संशोधन करेगा; और धारा 154 के प्रावधान, जहां तक हो सके, उस धारा की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि उस पूर्व वर्ष के अंत से गणना की जाएगी जिसमें अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या प्रतिफल प्राप्त किया गया था।

मूल्यांकनकर्ता "। राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 4. प्रारंभिक अधिसूचना और शक्तियों का प्रकाशन

इसके अधिकारी। - (1) जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा।

(2) इसके बाद यह किसी भी अधिकारी के लिए, या तो आम तौर पर या विशेष रूप से इस संबंध में ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत, और उसके सेवकों और श्रमिकों के लिए विधिसम्मत होगा -

ऐसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उसका स्तर लेने के लिए

उप-मिट्टी में खुदाई या बोर करना; यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए कि क्या भूमि है

इस उद्देश्य के लिए अनुकूलित;

प्रस्तावित भूमि की सीमाएँ और प्रस्तावित कार्य की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) निर्धारित करना।

उस पर; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्ह लगाकर चिह्नित करना और

खाइयों को काटना और,

जहाँ अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और किसी भी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भी हिस्से को काटने और हटाने के लिए स्तर और सीमाएँ और रेखाएँ चिह्नित की जा सकती हैं:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन में या किसी निवास गृह से जुड़े किसी संलग्न न्यायालय या बगीचे में (जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले की सहमति से नहीं) प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि पहले ऐसे कब्जा करने वाले को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम सात दिनों की लिखित सूचना नहीं दी गई हो।

" 5 ए. आपत्तियों की सुनवाई। - (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी में रुचि रखता है

भूमि जिसे धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यक या आवश्यक होने की संभावना है, अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर, यथास्थिति, क्षेत्र में भूमि या किसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में दी जाएगी, और कलेक्टर आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, या तो उस भूमि के संबंध में एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है, या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों के संबंध में उपयुक्त सरकार को अलग-अलग रिपोर्ट करेगा, जिसमें उसका पक्ष होगा।

आपत्तियों पर सिफारिशें, के रिकॉर्ड के साथ उस सरकार के निर्णय के लिए उसके द्वारा आयोजित कार्यवाही। आपत्तियों पर उपयुक्त सरकार का निर्णय

यह अंतिम होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा जो मुआवजे में ब्याज का दावा करने का हकदार होगा यदि भूमि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई थी।

" 6. घोषणा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है।

उपयुक्त सरकार धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट है कि कोई विशेष किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, या किसी कंपनी के लिए, ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उस आशय की घोषणा की जाएगी और धारा 4, उप-धारा (1) के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के विभिन्न भागों के संबंध में समय-समय पर अलग-अलग घोषणाएं की जा सकती हैं, भले ही

चाहे धारा 5-ए, उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्ट (जहां भी आवश्यक हो) बनाई गई हो या बनाई गई हो।

***

***

***

(3) उक्त घोषणा इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए है, जैसा भी मामला हो। और ऐसी घोषणा करने के बाद उपयुक्त सरकार इसके बाद दिखाई देने वाले तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

" 9. इच्छुक व्यक्तियों को सूचित करें। - (1) कलेक्टर तब ली जाने वाली भूमि पर या उसके आस-पास सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें कहा जाएगा कि सरकार भूमि पर कब्जा करने का इरादा रखती है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए मुआवजे का दावा उसे किया जा सकता है।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(2) इस तरह की सूचना में इस तरह से आवश्यक भूमि का विवरण होगा, और भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को उपस्थित होना होगा। व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा कलेक्टर के समक्ष उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर (ऐसा समय जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पंद्रह दिन से पहले का न हो), और भूमि में उनके संबंधित हितों की प्रकृति और राशि और राशि का उल्लेख करना।

ऐसे हितों के लिए मुआवजे के उनके दावों का विवरण, और धारा 8 के तहत किए गए मापों पर उनकी आपत्तियां (यदि कोई हों)। कलेक्टर किसी भी मामले में इस तरह के बयान को लिखित रूप में देने और पक्ष या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता हो सकती है। (3) कलेक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगकर्ता (यदि कोई हो) पर और ऐसे सभी व्यक्तियों पर भी इसी प्रभाव का नोटिस देगा जो ज्ञात हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे उसमें रुचि रखते हैं, या व्यक्तियों के लिए कार्य करने के हकदार हैं।

जिस राजस्व जिले में भूमि स्थित है, उसके भीतर रहने वाले या उनकी ओर से सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत एजेंट हैं।

***

***

*****

" 11. कलेक्टर द्वारा पूछताछ और पुरस्कार। - जिस दिन इस प्रकार निर्धारित किया गया है, या किसी अन्य दिन जिस दिन जांच स्थगित की गई है, कलेक्टर उन आपत्तियों (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने धारा 8 के तहत किए गए मापों के लिए धारा 9 के तहत दिए गए नोटिस के अनुसार बताई हैं, और भूमि के मूल्य में और धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर, और संबंधित मामलों में।

मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों के हित, और अपने हाथ के तहत एक पुरस्कार करेंगे

((i) भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल;

भूमि के लिए; और ((ग) उक्त मुआवजे का सभी के बीच विभाजन।

भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात या माने जाने वाले व्यक्ति, जिनमें से,

या जिनके दावों के बारे में, उनके पास जानकारी है, चाहे वे

क्रमशः उसके सामने उपस्थित हुए हैं।

" 16. अधिकार लेने की शक्ति। - जब कलेक्टर धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय दे देता है, तो वह उस भूमि का कब्जा ले सकता है, जो उसके बाद सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से सरकार में निहित होगी।

26.2 . हालाँकि, धारा 17 द्वारा एक अलग प्रक्रिया की परिकल्पना की गई थी।

अधिनिर्णय देने से पहले भी तात्कालिकता के मामलों में कब्जा करने के लिए, लेकिन उपयुक्त सरकार के निर्देशों पर। उस प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार थाः

" 17. तात्कालिकता के मामलों में विशेष शक्तियाँ। - (1) जिन मामलों में

तात्कालिकता, जब भी उपयुक्त सरकार ऐसा निर्देश देती है,

कलेक्टर, हालांकि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, पर हो सकता है

सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति

धारा 9, उप-धारा (1) में उल्लिखित, किसी भी

सार्वजनिक उद्देश्यों या कंपनी के लिए आवश्यक अपशिष्ट या कृषि योग्य भूमि।

उस पर ऐसी भूमि पूरी तरह से सरकार में निःशुल्क निहित होगी। सभी बाधाओं से।

*

*** 13

***

***

26.3 . ब्याज के उपचार से संबंधित एक परिधीय पहलू

वर्तमान मामले में बढ़े हुए मुआवजे पर भी हुआ है, जिसके लिए सी. आई. टी. (ए) ने अपने दिनांक 31.03.1989 के आदेश में, 1894 के अधिनियम की धारा 28 का उल्लेख किया है। यह प्रावधान, जैसा कि प्रासंगिक समय पर मौजूद था, निम्नानुसार थाः

" 28. कलेक्टर को अतिरिक्त राशि पर ब्याज देने का निर्देश दिया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति। - यदि वह राशि जो न्यायालय की राय में,

कलेक्टर को पुरस्कार देना चाहिए था क्योंकि मुआवजा अधिक है

उस राशि में से जो कलेक्टर ने मुआवजे के रूप में दी थी, न्यायालय का निर्णय यह निर्देश दे सकता है कि कलेक्टर ब्याज का भुगतान करेगा।

प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से इस तरह की अधिकता पर

जिस तारीख को उसने भुगतान की तारीख तक भूमि पर कब्जा कर लिया था

न्यायालय में इस तरह की अधिकता का "। 14

13 हमने 1894 के अधिनियम की धारा 17 की अन्य उप-धाराओं को वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं होने के कारण नहीं निकाला है, लेकिन धारा 17 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया की व्यापक विशेषताओं के संदर्भ को पूरा करने के लिए, हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि इसकी उप-धारा (4), जो प्रासंगिक समय पर मौजूद थी, निम्नानुसार थीः -

(4) किसी ऐसी भूमि के मामले में, जिसके लिए उपयुक्त की राय में सरकार, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं,

उपयुक्त सरकार यह निर्देश दे सकती है कि धारा 5 ए के प्रावधान

लागू नहीं होता है, और, यदि यह ऐसा प्रत्यक्ष करता है, तो धारा 6 के तहत एक घोषणा की जा सकती है।

अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में

धारा 4, उप-धारा (1) "।

14 ध्यान देंः हम फिर से देख सकते हैं कि पैराग्राफ 25 में निष्कर्षण 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के हैं जो मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के लिए लागू होते हैं। इसी तरह, अनुच्छेद 26.1,26.2 और 26.3 में निष्कर्षण 1894 के अधिनियम के प्रावधानों में से हैं जो वर्ष 1968 में लागू होते हैं जब विषय भूमि से संबंधित धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

27. 1961 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

जिसके तहत और जिसके तहत, "पूंजीगत लाभ" अनिवार्य रूप से निर्धारिती द्वारा पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है; और वर्तमान मामले के पृष्ठभूमि पहलू, जहां निर्धारिती-अपीलार्थी (विचाराधीन भूमि) की पूंजीगत संपत्ति 31.08.1967 पर पट्टे की समाप्ति के बाद भी लाभार्थी कॉलेज के कब्जे में थी, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के कुछ प्रावधानों पर भी ध्यान देना उचित होगा जो "संपत्ति के हस्तांतरण" के सामान्य अर्थ से संबंधित हैं और वे भी जो अचल संपत्ति के पट्टे के लेनदेन से संबंधित हैं।

27.1 . 1882 के अधिनियम के अध्याय 2 में आने वाली धारा 5 में,

"संपत्ति का हस्तांतरण" वाक्यांश को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 5. " संपत्ति का हस्तांतरण "परिभाषित। - निम्नलिखित खंडों में

" संपत्ति के हस्तांतरण का अर्थ है एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति

वर्तमान में या भविष्य में, एक या अधिक अन्य को संपत्ति पहुँचाता है

जीवित व्यक्ति, या स्वयं के लिए, या स्वयं के लिए और एक या अधिक अन्य के लिए

जीवित व्यक्ति; और "संपत्ति का हस्तांतरण" ऐसा कार्य करना है।

इस खंड में "जीवित व्यक्ति" में एक कंपनी शामिल है या

व्यक्तियों का संघ या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,

लेकिन इसमें निहित कुछ भी समय के लिए किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेगा। कंपनियों को या उनके द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में लागू होना,

व्यक्तियों के संघ या निकाय।
27.2 . अचल संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और देनदारियाँ

1882 के अधिनियम की धारा 108 में संपत्ति का वर्णन किया गया है और इसका खंड (क्यू) निम्नलिखित शब्दों में पट्टे के निर्धारण पर पट्टेदार को संपत्ति के कब्जे में रखने के लिए पट्टेदार के एक निहित दायित्व को अभिनिर्धारित करता हैः

" 108. पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और देनदारियाँ। में

एक अनुबंध या इसके विपरीत स्थानीय उपयोग की अनुपस्थिति, पट्टेदार और अचल संपत्ति का पट्टेदार, एक दूसरे के खिलाफ,

क्रमशः, अधिकार रखते हैं और देनदारियों के अधीन हैं

निम्नलिखित नियमों में उल्लिखित, या उनमें से जो हैं पट्टे पर दी गई संपत्ति पर लागूः

***

***

***

(क्यू) पट्टे के निर्धारण पर, पट्टेदार लगाने के लिए बाध्य है

संपत्ति के कब्जे में पट्टेदार।

15 संक्षेप में, '1882 का अधिनियम' [2020] 9 एस. सी. आर.

27.2. 1 . समय के प्रवाह द्वारा पट्टे के निर्धारण की परिकल्पना की गई है

1882 के अधिनियम की धारा 111 का खंड (क) निम्नानुसार है:

" 111. पट्टे का निर्धारण। - अचल संपत्ति का पट्टा

निर्धारित करता है

((क) इसके द्वारा सीमित समय के प्रवाह द्वारा;

*

****

***

***

27.2. 2 . पट्टे के लेन-देन की विशेषताओं में से एक, मामले में

जहाँ पट्टेदार उसके निर्धारण के बाद कब्जे में रहता है और पट्टेदार अपने कब्जे के लिए सहमति देता है, वहाँ 1882 के अधिनियम की धारा 116 द्वारा निपटा जाता है जो निम्नानुसार है:

" 116. पकड़ रखने का प्रभाव। - यदि पट्टेदार या उससे कम पट्टेदार

के निर्धारण के बाद संपत्ति उसके कब्जे में रहती है

पट्टेदार को दिया गया पट्टा, और पट्टेदार या उसका कानूनी पट्टा प्रतिनिधि पट्टेदार या कम पट्टेदार से किराया स्वीकार करता है, या

अन्यथा अपने कब्जे में बने रहने के लिए सहमति देता है, पट्टा, में है

इसके विपरीत एक समझौते की अनुपस्थिति, वर्ष से नवीनीकृत

वर्ष से, या महीने से महीने, उद्देश्य के अनुसार जिसे संपत्ति पट्टे पर दी गई है, जैसा कि धारा 106 में निर्दिष्ट है।

प्वाइंट नंबर 1।

28. जैसा कि देखा गया है, दृढ़ संकल्प के लिए पहला बिंदु चारों ओर घूमता है

इस बारे में बुनियादी सवाल कि अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से विचाराधीन भूमि का हस्तांतरण कब हुआ और निर्धारिती-अपीलार्थी को पूंजीगत लाभ कब प्राप्त हुआ? निर्धारिती का कहना है कि यह

हस्तांतरण, जिससे पूंजीगत लाभ होता है, प्रारंभिक अधिसूचना (15.05.1968) की तारीख को ही हुआ क्योंकि विचाराधीन भूमि का कब्जा पहले से ही लाभार्थी कॉलेज के पास था। हालांकि, राजस्व का कहना है कि इस तरह का हस्तांतरण पूरा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप केवल पुरस्कार की तारीख (29.09.1970) को ही पूंजीगत लाभ होता है।

29. शामिल प्रश्नों के प्रभावी निर्धारण के लिए, हम कर सकते हैं

"पूंजीगत लाभ" के रूप में वर्णित आय के शीर्ष की बुनियादी विशेषताओं को समझें।

29.1 . जैसा कि देखा गया है, पूंजीगत लाभ वे लाभ या लाभ हैं जो

पूँजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है। "पूँजी संपत्ति" शब्द को 1961 के अधिनियम की धारा 2 (14) में परिभाषित किया गया है। इस मामले में, बहुत

इस परिभाषा पर विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विषय भूमि में राज पाल सिंह बनाम था।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

निर्विवाद रूप से निर्धारिती-अपीलार्थी की "पूंजीगत संपत्ति" थी। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि 'पूंजीगत संपत्ति' की ऐसी परिभाषा व्यापक है। आयतन, किसी निर्धारिती द्वारा धारण की गई किसी भी प्रकार की संपत्ति को अपने तह में लेना, सिवाय उसके जिसे उसमें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जैसे कि स्टॉक-इन-ट्रेड, उपभोग्य वस्तुओं के भंडार, व्यक्तिगत प्रभाव आदि।

29.2 . पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "हस्तांतरण" शब्द को 1961 के अधिनियम की धारा 2 (47) में परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा का विस्तार भी काफी व्यापक रहा है ताकि किसी पूंजी संपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग; या उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन; या उसका अनिवार्य अधिग्रहण शामिल किया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि 1882 के अधिनियम के मूल सिद्धांतों के अनुसार, "संपत्ति के हस्तांतरण" का अर्थ एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति वर्तमान या भविष्य में एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों, या खुद को, या खुद को और एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति देता है। 29.3 . इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की तत्कालीन मौजूदा धारा 45 की सामग्री को प्रासंगिक परिभाषाओं के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि

ऐसे लाभ या लाभ आय-कर के लिए "पूंजीगत लाभ" के रूप में प्रभार्य हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होते हैं। बिक्री, विनिमय, त्याग और यहां तक कि अनिवार्य सहित तरीके

अधिग्रहण; और, काल्पनिक रूप से, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे लाभ या लाभ को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें हस्तांतरण हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले निर्धारिती के पूंजीगत लाभ पर पिछले वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जाता है जिसमें हस्तांतरण हुआ था।

30. "हस्तांतरण" और "हस्तांतरण" की उपरोक्त अवधारणाओं को लागू करना।

वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, यह आसानी से पाया जा सकता है कि जब विषय भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया गया है, तो निर्धारिती-अपीलार्थी से सरकार को इसका हस्तांतरण सीधे 1961 के अधिनियम की धारा 2 (47) के अंतर्गत आता है।

30.1 . इस प्रकार, उत्पन्न होने वाले लाभों की प्रभार्यता के लिए मूल तत्व

31. इस जांच में प्रवेश करते हुए कि निर्धारिती-अपीलार्थी से सरकार को विषय भूमि का हस्तांतरण कब हुआ था, हम स्थानांतरण [2020] 9 एस. सी. आर. को पूरा करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में मालिक से सरकार को भूमि का अधिग्रहण। आम तौर पर, अनिवार्य अधिग्रहण के ऐसे मामलों में, कानून द्वारा निर्धारित एक संरचित प्रक्रिया होती है, जिसका कानूनी अधिग्रहण के लिए पालन किया जाना आवश्यक है और जिसका कानूनी प्रभाव अधिग्रहण निकाय, आमतौर पर उपयुक्त सरकार को संबंधित संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण का होता है। वर्तमान मामले में विवाद की उत्पत्ति 1894 के अधिनियम के तहत निर्धारिती-अपीलार्थी की भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण में हुई है और इसलिए, उक्त अधिनियम द्वारा विचार की गई प्रक्रियाओं को देखना उचित होगा। 31.1 . 1894 के अधिनियम की योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन, जो कि प्रासंगिक समय पर मौजूद है, यह स्पष्ट करता है कि धारा 4 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन ने स्वयं संपत्ति को सरकार में निहित नहीं किया; इसने केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के सरकार के इरादे के बारे में सूचित किया। इस अधिसूचना के बाद, सामान्य तौर पर, धारा 5 ए के तहत, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति, यदि कोई हो, की जांच करने की आवश्यकता थी; और अपनी रिपोर्ट की जांच करने के बाद, यदि ऐसा किया जाता है, तो सरकार को धारा 6 के तहत घोषणा जारी करनी थी, जो इस बात की संतुष्टि को दर्शाती है कि भूमि वास्तव में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक थी। इन कदमों के बाद धारा 9 के तहत नोटिस दिया जाना था, जिसमें कहा गया था कि सरकार भूमि पर कब्जा करने और मुआवजे के लिए दावे आमंत्रित करने का इरादा रखती है। इसके बाद, कलेक्टर को धारा 11 के तहत अपना पुरस्कार देना था। जैसा कि देखा गया है।

इससे पहले, 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अधिनिर्णय करने के बाद, अधिग्रहण के तहत भूमि का कब्जा ले सकता था और उसके बाद, सरकार में निहित भूमि सभी बाधाओं से मुक्त हो सकती थी। 31.2 . ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया से विचलन और कुछ अलग प्रक्रिया की अनुमति 1894 के अधिनियम की धारा 17 में दी गई थी।

जिसके तहत, तात्कालिकता के मामलों में और यदि सरकार ने ऐसा निर्देश दिया होता, तो कलेक्टर धारा 9 (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के बाद किसी भी अपशिष्ट या कृषि योग्य भूमि का कब्जा ले सकता था, भले ही अधिनिर्णय नहीं किया गया था; और उसके बाद, भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित करना था।

31.3 . विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बॉम्बे और अन्य के मामले में। वी. गोदरेज और बॉयसः (1988) 1 एस. सी. सी. 50,1894 के अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से पीछे हटने की सरकार की शक्ति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने राज पाल सिंह बनाम के सरगम पर खुलासा किया।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अधिग्रहण के तहत भूमि पर कब्जा करने की प्रक्रिया औरनिम्नलिखित शब्दों में आवश्यकताएँ और उनके निहितार्थ भीः

" 5 ..... अधिनियम की योजना के तहत, न तो अधिसूचना

न ही धारा 4 के तहत और न ही धारा 6 के तहत घोषणा

धारा 9 के तहत नोटिस मूल को बेचने के लिए पर्याप्त है।

अपने अधिकारों की भूमि का स्वामी या उसमें रुचि रखने वाला अन्य व्यक्ति

उसमें। धारा 16 संदेह से परे यह स्पष्ट करती है कि

भूमि का अधिकार सरकार में तभी निहित होता है जब

सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। उस समय तक

समय के साथ, भूमि मूल मालिक के पास बनी हुई है और

वह भी स्वतंत्र है (सिवाय इसके कि जहां इसके लिए विशिष्ट कानून है)

इसके विपरीत) भूमि के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा वह चाहता है, हालाँकि यह हो सकता है

कि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही के लंबित होने के कारण

इच्छुक खरीदार भूमि के पास आने के बारे में सतर्क हो सकते हैं। तो।

जब तक कब्जा नहीं लिया जाता है, केवल एक का तथ्य

धारा 4 के तहत अधिसूचना या धारा 6 के तहत घोषणा

बनाया जाना मालिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करता है

भूमि के संबंध में या उसे देखभाल करने के कर्तव्य से मुक्त करें

भूमि का उपयोग करें और अतिक्रमण से इसकी रक्षा करें। एक बार फिर ऐसा

अधिसूचना या तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं देती है।

भूमि में स्वामित्व या अन्य अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार या

उस पर अतिक्रमण हटाने का कोई भी कर्तव्य अधिरोपित करें या मूल मालिक के हितों की रक्षा करने का कोई अन्य तरीका

भूमि। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मालिक के हित बने रहते हैं जब तक कब्जा नहीं लिया जाता, तब तक अप्रभावित, कि धारा 48 स्वतंत्रता प्रदान करती है

राज्य सरकार को किसी भी समय अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए

कब्जा लेने से पहले चरण। '

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

31.4 . फल और सब्जी व्यापारी संघ के मामले में v.

आई ट्रस्ट में सुधारः ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 344, इस न्यायालय ने व्याख्या की

"वेस्टिंग" शब्द की विशिष्टताएँ इस प्रकार हैंः

" जैसा कि वर्तमान में दिखाई देगा, "वेस्टिंग" शब्द की कई किस्में हैं -

जिसका अर्थ उस संदर्भ से एकत्र किया जाना है जिसमें यह उपयोग किया गया है। इसका अर्थ हो सकता है पूर्ण स्वामित्व, या केवल अधिकार

एक विशेष उद्देश्य, या अधिकार को संभालने की शक्ति के साथ पहनना

किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के अभिकर्ता के रूप में संपत्ति के साथ। कि "बनियान" शब्द परिवर्तनीय महत्व का एक शब्द है, इसके द्वारा दिखाया गया है

भारतीय कानूनों के प्रावधान भी। उदाहरण के लिए, [2020] 9 एस. सी. आर. की धारा 56।

प्रांतीय दिवाला अधिनियम (1920 का 5) न्यायालय को अधिकार देता है निर्णय का आदेश देने का समय या उसके बाद

दिवालिया की संपत्ति के लिए एक रिसीवर नियुक्त करें और आगे

यह प्रावधान करता है कि "ऐसी संपत्ति उस पर ऐसे प्राप्तकर्ता में निहित होगी"।

प्रशासन के उद्देश्य से संपत्ति प्राप्तकर्ता में निहित होती है

उसके बाद अपने ऋणों के भुगतान के लिए दिवालिया की संपत्ति

अपनी परिसंपत्तियों को प्राप्त करना। दिवालिया की संपत्ति निहित है

प्राप्तकर्ता सभी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि केवल उद्देश्य के लिए दिवाला अधिनियम और प्राप्तकर्ता का इसमें अपना कोई हित नहीं है

संपत्ति। दूसरी ओर, एसएस। 16 और भूमि के 17

" सरकार में पूरी तरह से सभी से मुक्त निहित अड़चनें "। एसएस द्वारा विचार किए गए मामलों में। 16 और

17 अर्जित संपत्ति की संपत्ति बन जाती है

बिना किसी शर्त या सीमाओं के सरकार

स्वामित्व या संपत्ति के बारे में। विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया है

कि संपत्ति का निहित होना किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं है

या सीमित अवधि। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि "बनियान" शब्द

संपत्ति का स्वामित्व उस व्यक्ति या प्राधिकरण के पास होता है जिसमें वह निहित होता है। यह शीर्षक में निहित हो सकता है, या यह कब्जे में निहित हो सकता है, या यह एक में निहित हो सकता है

सीमित अर्थ, जैसा कि उस संदर्भ में इंगित किया गया है जिसमें यह हो सकता है

कानून के एक विशेष टुकड़े में उपयोग किया गया था।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

31.5 . उपरोक्त व्याख्याएँ बहस के लिए कुछ नहीं छोड़ती हैं कि

(इस प्रकार स्वामी को उसके सभी अधिकारों से वंचित करना) धारा 16 में दिए गए किसी भी तरीके में कब्जा करने के बाद ही, अर्थात पुरस्कार देने के बाद; या पुरस्कार देने से पहले, जैसा कि धारा 17 में प्रावधान किया गया है। दूसरे शब्दों में, मालिक को संपत्ति से अलग कर दिया गया था और यह पूर्ण

रूप से सरकार में केवल तभी निहित है जब धारा 16 और 17 में परिकल्पित प्रक्रियाओं में से किसी एक द्वारा कब्जा ले लिया गया हो। हालाँकि, जब तक कब्जा नहीं लिया गया था, तब तक केवल 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने का तथ्य या

उसकी धारा 6 के तहत घोषणा, विचाराधीन संपत्ति के संबंध में मालिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं करती है।

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

32. इस प्रकार शासन करने वाले सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद

" पूंजीगत लाभ "और" अनिवार्य अधिग्रहण में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण ", अब हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि अनिवार्य अधिग्रहण में पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ कब प्राप्त होता है।

32.1 . उपरोक्त विशेषताएँ-ध्यान में रखी गई हैं, जो पूर्ण होने से संबंधित हैं

सरकार द्वारा कब्जा लेने पर 1894 के अधिनियम के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से हस्तांतरण; और लेने की ऐसी घटना

कब्ज़ा 1961 के अधिनियम की धारा 45 के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण, पूंजीगत लाभ के कराधान से संबंधित विभिन्न निर्णयों में न्यायालयों द्वारा विधिवत लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, हम उपयोगी हो सकते हैं

बुद्धैया बनाम के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करें। आयकर आयुक्त, कर्नाटक-2: (1985) 155 आई. टी. आर. 277, जिसमें उच्च न्यायालय ने फल और सब्जी व्यापारी संघ में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि भूमि का स्वामित्व 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत उपायुक्त द्वारा कब्जा किए जाने पर सरकार को जाता है, इसलिए कब्जा लेने की ऐसी तारीख 1961 के अधिनियम की धारा 45 के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा (पृ. आई. टी. आर. का 281),

" अतः निर्धारिती का तर्क प्रावधानों के विपरीत है।

डिप्टी द्वारा कब्जा किए जाने पर सरकार एस के तहत आयुक्त। 16 अधिनियम, लेने की तारीख

एस के प्रयोजनों के लिए कब्जा प्रासंगिक हो जाता है। 45 में से

आई. टी. अधिनियम, जहाँ तक स्वामित्व के हस्तांतरण का संबंध है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

33. हालांकि, उपरोक्त प्रस्ताव सीधे एक पर लागू नहीं होते हैं

मामला जहां, किसी भी कारण से, सरकार द्वारा भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था या 1894 के अधिनियम की धारा 16 या धारा 17 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया के पूरा होने से पहले मालिक द्वारा वितरित किया गया था। में।

ऐसा मामला, जाहिर है, सवाल यह होगा कि पूंजीगत लाभ कब अर्जित हुआ है? और यही वर्तमान मामले का मूल है।

33.1 . मूल सवाल को उठाते हुए, कि पूंजीगत लाभ कब होगा

भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में जहां कानून द्वारा विचारित संरचित प्रक्रिया में कब्जा लेने के लिए प्रासंगिक चरण तक पहुंचने से पहले ही कब्जा ले लिया गया था, हम उपयोगी रूप से [2020] 9 एस. सी. आर. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. अप्पाला नरसम्मा बनाम का मामला। आय-कर आयुक्तः (1987) 168 आईटीआर 17. इसमें निर्धारिती की भूमि का अधिग्रहण नगर नियोजन न्यास के लिए किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण के दौरान

कार्यवाही, भूमि का कब्जा निर्धारिती द्वारा स्वेच्छा से 25.03.1970 पर नगर योजना न्यास को दिया गया था। का पुरस्कार क्षतिपूर्ति 22.03.1971 पर की गई थी। मूल्यांकन कार्यवाहियों में यह सवाल उठा कि पूंजीगत लाभ किस वर्ष में हुआ? इस प्रकार, इसी तरह का प्रश्न उसमें शामिल था, अर्थात कि क्या भूमि को उस तारीख को राज्य में निहित माना जाना चाहिए जब कब्जा मकान मालिक की सहमति से लिया गया था या अधिनिर्णय की तारीख को? न्यायाधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिनिर्णय देने की तारीख को भूमि सरकार के पास निहित थी और इस निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। अधिकार सौंपने से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करते हुए और उस तथ्य की स्थिति की जांच करते हुए जहां पहले कब्जा लिया गया था

पुरस्कार देते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि पर अधिकार निहित करना कानून का विषय है न कि निष्कर्ष का विषय; और दी गई स्थिति में, जिस क्षण पुरस्कार दिया गया था, उस क्षण से कब्जा पुरस्कार से संबंधित होना चाहिए; और उस तारीख को, भूमि सरकार में निहित होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा (पीपी में। आई. टी. आर. के 20 और 21),

" भूमि पर अधिकार का निहित होना कानून का मामला है, मामला नहीं। अनुमान से। यह संचालन द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का मामला है।

कानून और प्रासंगिक क़ानून स्पष्ट रूप से स्थितियों का प्रावधान करता है जिसे भूमि निहित करती है। , धारा 16, धारा 17 (1) और धारा

17 (2) . इन प्रावधानों के अनुसार, प्रति कब्जा लेना

से निहित करने के बारे में नहीं लाता है; कब्जा लेने के लिए होना चाहिए किसी पुरस्कार (धारा 16) या आदेश के पारित होने के परिणामस्वरूप

धारा 17 (1) द्वारा अनुध्यात, या द्वारा अनुध्यात स्थिति में धारा 17 (2)। अधिनियम में कब्जा लेने का प्रावधान नहीं है।

पुरस्कार के पारित होने से पहले, विचार की गई स्थितियों को छोड़कर

धारा 17 (1) और (2) द्वारा। सवाल यह है कि क्या उचित है? ऐसी स्थिति में देखने के लिए? क्या हमें पुरस्कार को वापस लेना चाहिए?

कब्जा लेने की तारीख तक या क्या हमें कब्जे को संबंधित करना चाहिए

पहले से ही पुरस्कार की तारीख तक ले जाया गया है? हम इसे अधिक सोचते हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के साथ उचित और सुसंगत, अपनाने के लिए

अंतिम दृश्य। चूंकि पुरस्कार से पहले कब्जा ले लिया गया था

सरकार के साथ बने हुए हैं, हमें कहना होगा कि जिस क्षण पुरस्कार पारित किया जाता है, उस क्षण से अधिकार

इसके बाद का संबंध पुरस्कार से होना चाहिए। उस तारीख को

कि भूमि सरकार में निहित है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

33.1. 1 . यह पुष्टि करते हुए कि तथ्यों के दिए गए सेट में, दायित्व

पूंजीगत लाभ के लिए कर अधिनिर्णय की तारीख को उत्पन्न हुआ, उच्च न्यायालय ने पहले लिए गए कब्जे के संबंध में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया,

1894 के अधिनियम द्वारा परिकल्पित तिथि तक; और हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कथन से मार्गदर्शन लिया। अविनाश शर्माः (1971) 1 एससीआर 413:

" वर्तमान मामले में एस के तहत एक अधिसूचना। 17 (1) और (4) था

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया और जिसका अधिकार था

एस के तहत नोटिस के प्रकाशन के दिनों। 9 (1) , माना जाता है सरकार का अधिकार होना। हम सहमत नहीं हो सकते हैं।

जहाँ सरकार ने अवैध रूप से कब्जा प्राप्त किया है या

भूमि जारी की जाती है जो सरकार में सभी से मुक्त नहीं होती है अड़चनें। हमारा विचार है कि जब एक अधिसूचना

एस के तहत। 17 (1) जारी किया जाता है, पंद्रह दिनों की समाप्ति पर

एस में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से। 9 (1) , द.

पहले प्राप्त अधिकार को माना जाएगा एस के अधीन सरकार का अधिकार। 17 (1) अधिनियम का

और जमीन सरकार में सभी से मुक्त हो जाएगी

अड़चनें "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

33.2 . एस. अप्पाला नरसम्मा में उक्त निर्णय का पालन किया गया।

आय आयुक्त के मामले में उसी उच्च न्यायालय द्वारा-कर v. पंडारी लक्ष्मैयाः (1997) 223 आई. टी. आर. 671 जहां, विषय भूमि का कब्जा 03.08.1977 पर लिया गया था, जबकि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना 01.09.1977 पर प्रकाशित की गई थी, जबकि धारा 9 (1) के तहत नोटिस 20.05.1980 पर जारी किया गया था और पुरस्कार पारित किया गया था। 25.03.1981 . उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि को सरकार को सौंपने की प्रासंगिक तिथि पुरस्कार देने की तिथि होगी।

34. उपरोक्त सिद्धांतों पर विस्तार करने से पहले, हम उल्लेख कर सकते हैं -

पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय लेकिन, इंगित करते हुए

तत्काल कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले में सीधे लागू नहीं होते हैं, वे अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं। क्षतिपूर्ति, न कि उस भूमि को सौंपने की तारीख के बारे में, जिसके बारे में हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि

पीटर जॉन (ऊपर) के मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से इन प्रश्नों पर विचार किया कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार कब उत्पन्न होता है और ब्याज कब प्राप्त होता है, जैसा कि निर्दिष्ट कानून के प्रश्न से स्पष्ट होगा, जो (आई. टी. आर. के <आई. डी. 1 पर) के तहत थाः

" चाहे, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, शामलाल नरूला बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुपात के अनुसार। सी. आई. टी. [1964] 53 आई. टी. आर. 151 (एससी) और रामनाथन चेट्टियार बनाम। सी. आई. टी. [1967] 63 आई. टी. आर. 458 (एस. सी.), भूमि अधिग्रहण ब्याज रु। 80,253 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 5 (1) (बी) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा, 1961 और 1962 के दौरान भूमि पर कब्जा करने की तारीख से 31 मार्च, 1968 तक कुल आय के निर्धारण के लिए उपार्जित राशि, जिसमें शामिल है और इसलिए, केवल रु। 12,626 जो 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक 366 कैलेंडर तिथियों के संबंधित पिछले वर्ष के दौरान दिन में उपार्जित हुआ था, जिसमें 1968-69 मूल्यांकन के लिए कुल आय और रु। 67,627 इसी तरह आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 5 (1) (बी) के तहत उपार्जित आधार पर 1962-63 से 1967-68 तक के छह निर्धारण वर्षों के लिए आय में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि था।

आयकर अधिकारी द्वारा पहले से ही 6 जून, 1972 के अपने आदेशों द्वारा 1967-68 और 1969-70 आकलन के लिए किया जा चुका है?

34.1. 1 . इस सवाल के संबंध में कि मुआवजा कब दिया जाता है

जब यह संचित होता है या जब यह संचित माना जाता है, तो उच्च न्यायालय ने जोगिंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए कथन को संदर्भित किया और

अभिनिर्धारित किया कि ऐसा अधिकार बेदखल होने पर तुरंत उत्पन्न होता है और मुआवजे की मात्रा की प्रतीक्षा नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने कहा (आई. टी. आर. के <आई. डी. 1 पर) -

" क्षतिपूर्ति कब प्राप्त होती है या इसे कब प्राप्त माना जाता है? यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संपत्ति का मालिक उस तारीख से मुआवजे का हकदार है जिस दिन उसे अधिग्रहण पर संपत्ति से बेदखल किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी जो करता है वह बाजार मूल्य के लिए संपत्ति खरीदने की पेशकश करता है और जब इस प्रक्रिया में वह संपत्ति पर कब्जा कर लेता है

यह किसी भी स्तर पर हो, संपत्ति का मालिक उस समय से संपत्ति की आय और आनंद से वंचित है।

राज पाल सिंह बनाम। आय-कर आयुक्त,

हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

क्या मुआवजे की मात्रा के संबंध में प्रस्ताव है

भूमि मालिक द्वारा तुरंत स्वीकार किया गया या अंत में द्वारा निपटाया गया

अदालत एक अलग सवाल है जो मात्रा को छूता है

क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार का नहीं। हम हैं।

यहाँ इस सवाल पर कि भूमि का मालिक किस तारीख से है इसे प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि दोनों

वैधानिक रूप से और इक्विटी में, भूमि मालिक को प्राप्त करने का अधिकार है जिस दिन उसे बेदखल किया जाता है उस दिन का मुआवजा

संपत्ति। यह अधिकार बेदखल होने पर तुरंत उत्पन्न होता है और होता है।

भूमि द्वारा मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने की प्रतीक्षा नहीं है

अधिग्रहण अधिकारी या अदालत द्वारा। ... . ' " 9

34.1. 2 . इसके अलावा, इस सवाल के संबंध में कि कब

ब्याज प्राप्त करने के लिए या जब इसे अर्जित माना जाता है, तो उच्च न्यायालय ने फिर से जोगिंदर सिंह (ऊपर) में उच्चारण का उल्लेख किया और यह उस तारीख के अलावा किसी अन्य समय पर नहीं होगा जब

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। उच्च न्यायालय ने फिर कहा (में

7-718 और आई. टी. आर. का 722), -

" अब सवाल यह है कि ब्याज प्राप्त करने का अधिकार कब है?

संचित या संचित माना जाता है; क्या यह किसी अन्य समय पर हो सकता है

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार किस तारीख को प्राप्त होता है?

क्षतिपूर्ति, हालांकि यह वास्तव में परिमाणित या भुगतान किया जा सकता है बाद के चरण में। यदि संपूर्ण क्षतिपूर्ति या वास्तविक क्षतिपूर्ति के रूप में

उच्चतम न्यायालय के पास जोगिंदर सिंह के मामले में यह होगा, आकाशवाणी

1985 एससी 382: [1985] 1 एस. सी. डब्ल्यू. आर. 110, जिसके लिए भूमि का मालिक था

धारा 23 और 24 के तहत मार्गदर्शन का भुगतान उसी समय किया गया था जब वह था संपत्ति से बेदखल, ब्याज के अधिकार का कोई सवाल नहीं होगा

बच जाते हैं। यह केवल तभी होता है जब देय मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है।

वह तारीख जब यह वास्तव में देय था, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके

राशि के उपयोग के अवमूल्यन से उत्पन्न होने वाला ब्याज है -

वास्तविक भुगतान की तारीख तक भुगतान किया गया। कि ब्याज प्राप्त करने का अधिकार

बेदखल होने की तारीख को उत्पन्न होता है जिस तारीख को भूमि का मालिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

***

***

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में, हमारा निष्कर्ष यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में दिए गए मुआवजे पर ब्याज दिन-प्रतिदिन चलता है, जो उस तारीख से उपार्जित होता है जिस दिन सरकार ने भूमि पर कब्जा कर लिया था, वह तारीख जिस पर भूमि मालिक का पूरा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है, हालांकि निर्धारित और

बाद में भुगतान किया।

34.1. 3 . उपरोक्त सिद्धांत, कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उस समय अस्तित्व में आता है जब सरकार अधिग्रहित संपत्ति का कब्जा ले लेती है; और ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी उस समय प्राप्त होता है जब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार अर्जित होता है और दिन-प्रतिदिन चलता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण के तहत संपत्ति का हस्तांतरण पूरा नहीं होता है और ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिसे "पूंजीगत लाभ" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि देखा गया है, अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में, पूंजीगत लाभ का संचय मालिक से सरकार को संपत्ति के हस्तांतरण के पूरा होने पर निर्भर करता है न कि मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार के संचय पर। इसलिए, पीटर जॉन (ऊपर) में निर्णय का संदर्भ वर्तमान मामले में पूरी तरह से अनुपयुक्त है।

34.2 . रामा बाई (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अनिवार्य रूप से प्रश्न से जुड़ी अपीलों और संदर्भों के एक समूह पर विचार किया

उस समय के संबंध में जब 1894 के अधिनियम की धारा 28 और 34 के तहत देय ब्याज अर्जित होता है या उत्पन्न होता है, जहां ऐसा ब्याज धारा 18 के तहत किसी संदर्भ पर दिए गए बढ़े हुए मुआवजे पर या उच्च न्यायालय और/या सर्वोच्च न्यायालय में आगे की अपील पर दिया जाता है। इस न्यायालय ने पाया कि यह मुद्दा आय आयुक्त-कर बनाम के निर्णय से समाप्त हुआ। गोविंदराजुलु चेट्टी (टी. एन. के.): [1987] 165 आई. टी. आर. 211; और यह अभिनिर्धारित किया गया कि ब्याज को बढ़े हुए मुआवजे की मंजूरी देने वाले आदेश की तारीख को उपार्जित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कब्जे की डिलीवरी की तारीख से साल दर साल उपार्जित होने के रूप में लिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

..... हमारी राय है कि हमारे समक्ष अपीलों (1974 की सिविल अपील सं. 810 और 1988 की सिविल अपील सं. 3027) को अनुमति दी जानी चाहिए और धारा 257 (कर संदर्भ मामले सं. 1976 के 3 और 1978 के 1 से 3) का उत्तर यह कहते हुए देना होगा कि ब्याज के संचय के प्रश्न का निर्धारण इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार करना होगा। निर्णय का प्रभाव, हम स्पष्ट कर सकते हैं, यह है कि

ब्याज को राज पाल सिंह बनाम के आदेश की तारीख को उपार्जित नहीं माना जा सकता है।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यायालय द्वारा बढ़े हुए मुआवजे को प्रदान करने के लिए, लेकिन इसे वितरण की तारीख से साल दर साल अर्जित होने के रूप में लिया जाना चाहिए।

इस तरह के आदेश की तारीख तक भूमि का कब्जा।

34.2. 1 . जाहिर है, रमा बाई (ऊपर) में निर्णय, हस्तांतरण के पूरा होने के संबंध में प्रश्नों से संबंधित नहीं है ताकि पूंजीगत लाभ हो सके। वास्तव में, उपरोक्त सिद्धांत केवल दिनांकित पुनर्निर्धारण आदेश के दूसरे भाग के लिए प्रासंगिक हैं, जिसके तहत, ब्याज आय के संबंध में, ए. ओ. ने पिछले वर्ष के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संचय के आधार पर सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया।

31.03.1971 .

34.3 . पुनः, जोगिंदर सिंह (ऊपर) के मामले में राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत इस न्यायालय का निर्णय, जो था

पीटर जॉन (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय के बाद, मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार और ब्याज प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। उस मामले में, सवाल उस तारीख के बारे में था जिससे ब्याज दिया जाना था और ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ कि हालांकि उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाया और भूमि अधिग्रहण अधिकारी और जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि पर ब्याज की दर के रूप में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष का आदेश दिया, लेकिन मुआवजे की राशि पर ब्याज की ऐसी दर को कब्जे की तारीख से 4 प्रतिशत प्रति वर्ष और अपने फैसले की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की दर को सीमित करने में गलती की क्योंकि भूमि का मालिक कब्जा करने की तारीख को भूमि के सही मूल्य का भुगतान करने का हकदार था; और केवल इसलिए कि राशि बाद में निर्धारित की गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि राशि का अधिकार बाद की तारीख में अस्तित्व में आया। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि जब उच्च न्यायालय ने कहा कि ब्याज की दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित मुआवजे के घटक के संबंध में कब्जे की तारीख से लागू होने का कोई कारण नहीं था कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावी वृद्धि के घटक के संबंध में कब्जा लेने की तारीख से समान दर लागू नहीं की जानी चाहिए। पहले से चर्चा किए गए कारणों के लिए, यह निर्णय पूंजीगत लाभ के संचय के लिए हस्तांतरण को पूरा करने के प्रश्न से भी सीधे संबंधित नहीं है।

34.4 . बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन का मामला। लिमिटेड (उपरोक्त), वर्तमान मामले में भी लागू नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्न [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान के कारण निर्धारिती द्वारा प्राप्त नुकसान की राशि से संबंधित है। उनमें की गई टिप्पणियों का, फिर से, इस सवाल पर कोई असर नहीं है कि अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में भूमि के हस्तांतरण को कब पूर्ण माना जाएगा ताकि पूंजीगत लाभ हो सके।

35. इसलिए, पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय, भले ही अधिकार से संबंधित प्रश्न पर मार्गदर्शन के क्षतिपूर्ति प्राप्त करें, इसके निर्धारण में सीधे हमारी सहायता न करें

इस मामले में मुख्य प्रश्न शामिल है क्योंकि, पूंजीगत लाभ पर आय-कर केवल मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार पर नहीं लगाया जाता है। आय-कर की प्रभार्यता के लिए, आय या तो आई होनी चाहिए या उपार्जित हुई होनी चाहिए। 1894 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के मामले में, इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण के आने से पहले कब्जा लेना

क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए संपत्ति के मालिक में एक संभावित अधिकार को जन्म देता है, लेकिन अधिनियम की योजना को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूंजीगत लाभ के परिणामस्वरूप हस्तांतरण कब्जे के अधिग्रहण के साथ पूरा होता है, भले ही ऐसा अधिग्रहण संबंधित प्रावधानों में निहित होने के समय से पहले हुआ हो।

35.1 . अविनाश शर्मा के मामले में इस अदालत का फैसला

(हालांकि, उपर्युक्त) इस विचार का समर्थन करता है कि तत्काल अधिग्रहण के मामले में, भले ही अधिग्रहण के तहत भूमि का कब्जा पहले लिया गया हो, यह 1894 के अधिनियम की धारा 17 (1) द्वारा विचार की गई प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए, और उस तारीख से प्रभावी माना जाना चाहिए जिस दिन धारा 17 (1) द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी, यानी 1894 के अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिन। एस. अप्पाला नरसम्मा और पंडारी लक्ष्मैया (ऊपर) में, आंध्र

35.2 . मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आंध्र के उपरोक्त निर्णयों में कानून के बयान अविनाश शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर प्रदेश उच्च न्यायालय निर्विवाद है और वर्तमान की तरह विवाद को लागू करने के लिए उसे अभेद्य बनाने की आवश्यकता है।

36. हमारे विचार में, 1894 के अधिनियम के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, ऊपर चर्चा की गई है।

अनिवार्य रूप से राज पाल सिंह बनाम सरकार को भूमि सौंपने के साथ हस्तांतरण का पूरा होना।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि के कब्जे के अधिग्रहण से संबंधित है। हालांकि, जहां इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रासंगिक चरण में पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ संबंधित चरण के आने पर अर्जित हुए हैं, न कि पहले। अधिक विशिष्ट होने के लिए, ऐसे मामलों में, पूंजीगत लाभ अर्जित माना जाएगाः (क) धारा 16 को संदर्भित सामान्य अधिग्रहण के मामले में अधिनिर्णय देने पर; और (ख) धारा 17 के तहत तत्काल अधिग्रहण के मामले में धारा 9 (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद।

37. यहाँ पहले देखे गए तथ्यों के अनुसार, वर्तमान में

मामले में, विचाराधीन भूमि को धारा 11 के तहत अधिनिर्णय के लिए सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण के अधीन किया गया था। इसलिए, आम तौर पर, पुरस्कार देने के बाद कब्जा करने पर पूंजीगत लाभ अर्जित होता। नतीजतन, विचाराधीन अधिग्रहण के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी को पूंजीगत लाभ अधिनिर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले अर्जित नहीं हो सकता था।

38. हालाँकि, इन प्रस्तुतियों के बल पर कि विचाराधीन भूमि पहले से ही अधिग्रहण के लाभार्थी के कब्जे में थी, निर्धारिती-अपीलार्थी की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि भूमि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद सरकार में निहित हो जाए, यानी उस तारीख को अर्जित पूंजीगत लाभ। यह सुझाव और उस पर स्थापित विवाद विभिन्न कारकों के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं जैसा कि संकेतित बुनियादी ढांचे में बताया गया है। 38.1 . भले ही हम अन्य सभी पहलुओं को एक तरफ रखें और मान लें कि विचाराधीन भूमि सरकार के कब्जे में थी या आई थी।

पुरस्कार के पारित होने से पहले, पैराग्राफ 36 के बिंदु (ए) में बताई गई कानून की स्थिति लागू होगी; और यह माना जाएगा कि पूंजीगत लाभ अधिकार लेने के प्रासंगिक चरण यानी पुरस्कार देने के आगमन पर उपार्जित हुए हैं और इसलिए, पूंजीगत लाभ को पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 से पहले उपार्जित नहीं माना जा सकता है। 38.2 . कानून के उपरोक्त स्पष्ट संचालन से बाहर निकलने के लिए, अपीलार्थी की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि यह तत्काल अधिग्रहण का मामला था और इसलिए, 1894 के अधिनियम की धारा 17 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया लागू होगी।

यह सुझाव भी निराधार है और कई दुर्बलताओं से ग्रस्त है।

38.2. 1 . सबसे पहले, रिकॉर्ड के सामने यह स्पष्ट है कि यह तत्काल अधिग्रहण का मामला नहीं था और कहीं भी यह [2020] 9 एस. सी. आर. नहीं था।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया

सहारा लिया गया। यहां तक कि दिनांक 29.09.1970 के पुरस्कार की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने केवल प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से ब्याज दिया था क्योंकि भूमि कॉलेज के कब्जे में थी, लेकिन यह कहीं भी नहीं कहा गया था कि उन्हें प्राप्त हुआ था।

धारा 17 के तहत कार्य करते हुए पुरस्कार देने से पहले भूमि पर कब्जा करने के लिए सरकार का कोई भी निर्देश।

38.2. 2 . दूसरा, यदि 1894 के अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही की जाती, तो भूमि सरकार में निहित हो सकती थी।

निर्धारण अधिकारी के प्रश्नों के बावजूद 1894 के अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख। के बारे में सुझाव अधिनियम की धारा 17 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया का अनुप्रयोग

1894 यह पूरी तरह से निराधार है।

39. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केवल एक ही सवाल बचा है कि विषय के एक हिस्से पर कॉलेज के कब्जे का क्या प्रभाव पड़ता है। अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के समय भूमि।

39.1 . तथ्य-पत्र पर वापस जाते हुए, यह विवाद में नहीं है कि विषय भूमि का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज को पट्टे पर दिया गया था और उक्त पट्टा 31.08.1967 पर समाप्त हो गया लेकिन, भूमि कॉलेज के कब्जे में बनी रही। इन तथ्यों का कानूनी प्रभाव संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रासंगिक प्रावधानों और न्यायालयों द्वारा घोषणाओं से एकत्र किया जा सकता है।

39.2 . जैसा कि देखा गया है, जहां अचल संपत्ति के किसी पट्टे की समय अवधि सीमित है, वह धारा के अनुसार उस समय के प्रवाह से निर्धारित होती है।

111 ((क) 1882 के अधिनियम का। इसके अलावा, 1882 के अधिनियम की धारा 108 (क्यू) के संदर्भ में, पट्टे के निर्धारण पर, पट्टेदार पट्टेदार को पट्टे पर दी गई संपत्ति के कब्जे में रखने के लिए बाध्य है। यदि पट्टेदार पट्टे के निर्धारण के बाद पट्टेदार को कब्जा नहीं देता है, लेकिन पट्टेदार किराए को स्वीकार करता है या अन्यथा अपने कब्जे में बने रहने के लिए सहमति देता है, तो इसके विपरीत एक समझौते के अभाव में, ऐसे पट्टेदार की स्थिति 1882 के अधिनियम की धारा 116 के संदर्भ में, किरायेदार की होल्डिंग की है।

1 6 जैसा कि पुरस्कार की सामग्री से देखा गया है, खसरा संख्या वाली भूमि। 361 और 5 कनाल और 7 मार्लाओं वाले 364 कॉलेज राज पाल सिंह बनाम के साथ पट्टे पर नहीं थे।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

लेकिन, किराए की स्वीकृति या पट्टेदार द्वारा अन्यथा सहमति के अभाव में, पट्टेदार की स्थिति पीड़ित किरायेदार की है। 39.3 . पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद पक्षों की स्थिति से संबंधित उपरोक्त पहलू अच्छी तरह से तय किए गए हैं और उन्हें अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, तैयार संदर्भ के लिए, हम यह इंगित कर सकते हैं कि एल. आर. के माध्यम से नंद राम (डी) के मामले में। और ओआरएस। वी. जगदीश प्रसाद

(डी) एल. आर. के माध्यम से। : 2020 (5) स्केल 723, इस न्यायालय ने एक अलग संदर्भ में पर्याप्त विवरणों में प्रासंगिक सिद्धांतों की फिर से व्याख्या की है। उक्त मामले की प्रासंगिक पृष्ठभूमि यह थी कि वादी की भूमि प्रतिवादी द्वारा पट्टे पर ली गई थी, जहां यह सहमति हुई थी कि वादी-पट्टेदार प्रतिवादी-पट्टेदार को बाहर निकालने की मांग नहीं करेगा, सिवाय उस मामले के जहां एक वर्ष का किराया बकाया है। पूरी पट्टे की भूमि का अधिग्रहण 1894 के अधिनियम के तहत किया गया था। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने मुआवजे की राशि निर्धारित की, लेकिन फिर, वादी और प्रतिवादी के बीच विभाजन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके लिए मामला संदर्भ में गया। संदर्भ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पट्टेदार ने बारह महीने से अधिक समय से किराया का भुगतान नहीं किया है, पट्टा समाप्त हो गया है और इसलिए, उसे किसी भी हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

क्षतिपूर्ति। बाद में, भूमि के एक हिस्से को अधिग्रहण से अधिसूचित कर दिया गया और वह हिस्सा प्रतिवादी-पट्टेदार के कब्जे में रहा। इसके बाद, वादी-पट्टेदार ने प्रतिवादी-पट्टेदार के खिलाफ मुकदमा दायर करके भूमि के कब्जे का दावा करते हुए कार्रवाई शुरू की। मुकदमे का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया था और डिक्री की पुष्टि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट द्वारा की गई थी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि पट्टा समाप्त होने के बारे में निर्णय में दर्ज निष्कर्ष न्यायिक आधार पर संचालित होता है और मुकदमा सीमा की अवधि से परे दायर किया गया था। आगे की अपील में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को मंजूरी नहीं दी और अपील की अनुमति देने के क्रम में, पट्टा की समाप्ति के बाद पक्षकारों की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों पर खुलासा किया, लेकिन पट्टेदार द्वारा कब्जे को बनाए रखना, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित मार्ग में:

" 29. प्रतिवादी को 20 साल की अवधि के लिए पट्टेदार के रूप में शामिल किया गया था। पट्टा अवधि 23 सितंबर, 1974 को समाप्त हो गई। भले ही

पट्टेदार ने किराया नहीं दिया था, पट्टे की अवधि जारी रहने के दौरान पट्टेदार की स्थिति नहीं बदलेगी। पट्टाधारक को पट्टा के खंड 9 के संदर्भ में कब्जा लेने का अधिकार था

कार्य। केवल यह तथ्य कि पट्टेदार ने उस अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प नहीं चुना था, पट्टे पर दी गई संपत्ति के मालिक के रूप में पट्टेदार के अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा। पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद, और [2020] 9 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पट्टेदार द्वारा किराए के भुगतान के अभाव में, पट्टेदार की स्थिति पीड़ित किरायेदार की होगी न कि किरायेदार की। टी. पी. अधिनियम की धारा 116 पट्टा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वार्षिक या मासिक आधार पर एक किरायेदार होल्डिंग का दर्जा प्रदान करती है, केवल तभी जब पट्टेदार पट्टा राशि के भुगतान को स्वीकार करता है। यदि पट्टेदार पट्टे की राशि स्वीकार नहीं करता है, तो पट्टेदार की स्थिति पीड़ित किरायेदार की होगी। इस न्यायालय ने निर्णयों में भावनजी लखमशी और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। वी. हिम्मतलाल जमनादास दानी और ओआरएस। (1972) 1 एस. सी. सी. 388, बद्रीलाल बनाम। नगर निगम। इंदौर काः (1973) 2 एस. सी. सी. 388 और आर. वी. भूपाल प्रसाद बनाम ए. पी. और अन्य का राज्य। : (1995) 5 एस. सी. सी. 698 और सेवोक प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम में भी एक निर्णय। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने इसके दायरे की जांच की

टी. पी. अधिनियम की धारा 116 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पट्टा को किरायेदार की हिस्सेदारी के रूप में तभी नवीनीकृत किया जाएगा जब पट्टाधारक पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद किराए का भुगतान स्वीकार करता है। भवानजी में यह न्यायालय

लखमशी निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 9. कार्यकाल की समाप्ति के बाद धारण करने का कार्य

किसी भी प्रकार की किरायेदारी नहीं बनाता है। यदि कोई किरायेदार रहता है

पट्टा के निर्धारण के बाद अधिकार, आम कानून का नियम यह है कि वह पीड़ा पर किरायेदार है। एक अंतर होना चाहिए

के बाद कब्जे में बने रहने वाले किरायेदार के बीच खींचा जाना

मकान मालिक की सहमति से कार्यकाल का निर्धारण और

एक किरायेदार अपनी सहमति के बिना ऐसा कर रहा है। पूर्व एक किरायेदार है

अंग्रेजी कानून में पीड़ा और बाद वाला एक किरायेदार होल्डिंग

अपनी इच्छानुसार किरायेदार। के समापन शब्दों को देखते हुए

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 116, एक पट्टेदार धारक ओवर अपनी इच्छानुसार किरायेदार की तुलना में बेहतर स्थिति में है। की सहमति

के बाद कब्जा जारी रखने के लिए मकान मालिक

किरायेदारी के निर्धारण से एक नई किरायेदारी का निर्माण होगा। क्या?

खंड में विचार किया गया है कि एक तरफ एक होना चाहिए

पट्टेदार या उप-पट्टाधारक द्वारा प्रमाणित नया पट्टा लेने का प्रस्ताव

पट्टेदार अपनी अवधि के बाद संपत्ति के कब्जे में रहता है

खत्म हो गया था और दूसरी तरफ एक निश्चित सहमति होनी चाहिए

द्वारा व्यक्त मकान मालिक द्वारा कब्जे की निरंतरता के लिए

किराए की स्वीकृति या अन्यथा। .....

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

राज पाल सिंह बनाम। आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

39.3. 1 . इसके अलावा, नंद राम (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एम. ई. सी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मायरा और अन्य। : 80 (1999) दिल्ली लॉ टाइम्स 679। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से इस तरह के उद्धरण के एक प्रासंगिक हिस्से पर भी वर्तमान उद्देश्य के लिए उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है जो इस प्रकार हैः

अतिक्रमणकारी नहीं बनते हैं, लेकिन जब तक मकान मालिक को अधिकार बहाल नहीं किया जाता है, तब तक पीड़ित किरायेदार के रूप में जारी रहते हैं। एक पूर्व किरायेदार का कब्जा न्यायिक है और वह कानून के नियत पाठ्यक्रम के अलावा विस्थापन से संरक्षित है। हालाँकि, वह एक किरायेदार है, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, पीड़ित होने के कारण, कोई किराया नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यदि मकान मालिक द्वारा किराया स्वीकार किया जाता है तो उसे किराएदार माना जाएगा। सहमति और महीने-दर-महीने किरायेदारी अस्तित्व में आएगी। किराए के बजाय, पीड़ित किरायेदार और केवल कब्जे में रहने के कारण उसे मकान मालिक के अधिकार और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए बहुत अधिक लाभ का भुगतान करने के लिए उसके (किरायेदार के) दायित्व दोनों को स्वीकार करना माना जाता है।

39.4 . उक्त सिद्धांत, जब वर्तमान मामले पर लागू होते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि विचाराधीन भूमि के उस हिस्से के संबंध में के निर्धारण के बाद, कॉलेज का कब्जा पट्टे पर दिया गया था

31.08.1967 पर पट्टा केवल पीड़ित किरायेदार का था क्योंकि यह नहीं दिखाया गया है कि पट्टेदार यानी अपीलार्थी ने किराया स्वीकार किया है या नहीं।

अन्यथा पट्टे को जारी रखने के लिए सहमति दी। विचाराधीन भूमि के हिस्से पर कॉलेज का कब्जा केवल पीड़ित किरायेदार का होने के कारण, अपीलार्थी के शीर्षक और उपयोग और व्यवसाय के लिए अपने लाभ का भुगतान करने के लिए कॉलेज के दायित्व की अनुरूप स्वीकृति थी। पट्टा के तहत भूमि के लिए पक्षों की समान स्थिति अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पर मौजूद थी और पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 तक भी जारी रही। दूसरे शब्दों में, अधिनिर्णय की तारीख तक भी, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने विचाराधीन भूमि के मालिक के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा और यह दर्जा केवल इसलिए नहीं खोया क्योंकि भूमि का एक हिस्सा कॉलेज के कब्जे में रहा। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह सुझाव कि भूमि सरकार के पास [2020] 9 एस. सी. आर. पर निहित है।

प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख पूरी तरह से आधारहीन है और इसे केवल अस्वीकार किया जा सकता है।

39.5 . उपरोक्त के अलावा, जिस महत्वपूर्ण कारक के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी का पूरा मामला जमीन पर गिर जाता है, वह यह है कि

न तो अधिसूचना की तारीख यानी 15.05.1968 पर और न ही पुरस्कार की तारीख तक, सरकार ने विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर लिया। जैसा कि देखा गया है, कब्जा पूर्व पट्टेदार, कॉलेज का था। भले ही उक्त महाविद्यालय अधिग्रहण का अंतिम लाभार्थी होने जा रहा था, यह नहीं कहा जा सकता है कि 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, इसका कब्जा सरकार के कब्जे में आ गया। इसका अधिकार, जैसा कि देखा गया है, पीड़ा में किरायेदार का बना रहा और उससे आगे नहीं।

39.6 . किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में पूंजीगत लाभ का संचय 15.05.1968 पर नहीं हुआ था। अगर बिल्कुल भी

कॉलेज के कब्जे के परिणामस्वरूप भूमि सरकार को सौंप दी जानी थी, इस तरह का निहितकरण केवल पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 पर होता था और इससे पहले नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती-अपीलार्थी से सरकार को भूमि का हस्तांतरण 29.09.1970 से पहले पूरा नहीं हुआ था और इसलिए, इस अधिग्रहण के कारण पूंजीगत लाभ अर्जित करने की सबसे पहली तारीख पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 थी। इसलिए, मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपीलार्थी की आय के रूप में पूंजीगत लाभ का आकलन किसी भी दुर्बलता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

40. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों का एक आनुषंगिक पहलू कि अधिनिर्णय के अनुसार 15.05.1968 पर उपार्जित ब्याज और ऋण राशि और वित्तीय वर्ष 1968-1969 से संबंधित आय होने के कारण निर्धारण वर्ष 1971-1972 में कर नहीं लगाया जा सकता था।

पूर्वगामी कारणों के लिए और अतिरिक्त रूप से इस कारण से खारिज किए जाने के योग्य है कि ए. ओ. ने अपने दिनांकित 25.01.1988 के आदेश में जानबूझकर पिछले वर्ष 1970-1971 के लिए संदर्भित ब्याज घटक पर संचय के आधार पर सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया है, जो मूल्यांकन वर्ष 1971-72 के लिए प्रासंगिक है।

40.1 . हम यह भी उपयोगी रूप से देख सकते हैं कि पुरस्कार में 15.05.1968 से ब्याज देना केवल न्यायसंगत और न्यायसंगत अनुप्रयोग था

कानून के प्रावधान, जिसमें 1894 के अधिनियम की धारा 28 भी शामिल है, लेकिन जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना की उस तारीख को भूमि सरकार को हस्तांतरित नहीं की गई। 41. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए बिंदु संख्या 1 का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, यानी निर्धारिती-अपीलार्थी के खिलाफ और राज पाल सिंह बनाम में।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

राजस्व के पक्ष में कि तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, 1961 के अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजनों के लिए पूंजी संपत्ति (विचाराधीन भूमि) का हस्तांतरण केवल 29.09.1970, पुरस्कार की तारीख को पूरा किया गया था, न कि 15.05.1968,1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को; और इसलिए, इस तरह के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पर पुरस्कार की तारीख यानी 29.09.1970 के संदर्भ में कर लगाया गया है।

प्वाइंट नंबर 2

42. हालांकि हमने पाया है कि इस मामले में पूंजीगत लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विचाराधीन भूमि का निहित होना केवल

पुरस्कार की तारीख जो पिछले वर्ष के भीतर आती है

निर्धारण वर्ष 1971-72, निर्धारण वर्ष 1975-1976 के लिए निर्धारिती-अपीलार्थी के अन्य मामले के संबंध में आई. टी. ए. टी. के निर्णय के प्रभाव के बारे में अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों को देखते हुए प्रश्न अभी भी बना हुआ है, जहां पूंजीगत लाभ के संचय की तारीख से संबंधित मुद्दे का निर्णय राजस्व के खिलाफ कब्जा लेने की तारीख के संदर्भ में किया गया था। मान लीजिए, मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 के लिए उक्त निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की गई थी और इसे अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राजस्व के लिए आई. टी. ए. टी. के समान निर्णय पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। निर्धारण वर्ष 1971-1972 से संबंधित वर्तमान मामला।

43. हम लाभप्रद रूप से दोहरा सकते हैं कि निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित मामले में, पूंजीगत लाभ का सवाल इस तथ्य की पृष्ठभूमि में उठा कि अपीलार्थी की भूमि का एक और अंश अंबाला के गोदाम के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया था।

शहर। 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 26.06.1971 पर जारी की गई थी और मुआवजे का पुरस्कार 27.06.1974 पर किया गया था, लेकिन उक्त भूमि का कब्जा सरकार द्वारा लिया गया था। 04.09.1972 अर्थात, पुरस्कार देने से पहले। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, आई. टी. ए. No.635/चंडी/84 में, आई. टी. ए. टी. ने इस तर्क को स्वीकार किया कि मामला 1894 के अधिनियम की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधान के तहत आता है, जिसमें निर्धारिती को संपत्ति का अधिकार सौंप दिया गया था, जो कब्जा लेने की तारीख 04.09.1972 से सरकार में निहित था। इसलिए, आई. टी. ए. टी. ने माना कि उक्त अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 के लिए प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए आकलन योग्य नहीं थे।

43.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है

कि राजस्व वर्तमान [2020] 9 एस. सी. आर. में एक अलग रुख अपनाने का हकदार नहीं है।

निर्धारण वर्ष 1971-1972 से संबंधित मामला, निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित उक्त निर्णय को स्वीकार करने के बाद, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा अधिग्रहण के तहत भूमि पर कब्जा करने की तारीख को अर्जित पूंजीगत लाभ। विद्वान वकील ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया हैः

" भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। कौमुदिनी नारायण दलाल [2001] 249 आई. टी. आर. 219; सी. आई. टी. बनाम।

नरेंद्र दोशी [2002] 254 आईटीआर 606 और सीआईटी बनाम। शिवसागर एस्टेट [2002] 257 आई. टी. आर. 59, सिद्धांत यह स्थापित किया गया है कि यदि राजस्व ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की शुद्धता को चुनौती नहीं दी है और इसे एक निर्धारिती के मामले में स्वीकार कर लिया है, तो राजस्व के लिए बिना किसी उचित कारण के अन्य निर्धारिती के मामले में अपनी शुद्धता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। 99 ”

44. सवाल यह है कि क्या उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले पर लागू होती हैं? हमारे विचार में, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से एक से अधिक कारणों से नकारात्मक है।

44.1 . सर्वप्रथम, यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट है कि उक्त मामले में शामिल मामला निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित है।

इसे 1894 के अधिनियम की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधान के तहत एक अधिग्रहण माना गया था, जबकि अधिग्रहण की कार्यवाही में

वर्तमान मामला तात्कालिक अधिग्रहण का नहीं था, बल्कि सामान्य प्रक्रिया का था, जहां कब्जा केवल इसके तहत लिया जा सकता था।

धारा 16 पुरस्कार देने के बाद। जैसा कि देखा गया है, 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जे की ओर ले जाने वाली सामान्य प्रक्रिया की संरचना धारा के तहत तत्काल प्रक्रिया से अलग रही है।

17 ; और 1894 के अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही से संबंधित उक्त निर्णय वर्तमान मामले में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है।

44.2 . दूसरा, यह तथ्य कि मूल्यांकन वर्ष 1975-1976 से संबंधित उक्त मामला वर्तमान मामले के समान नहीं था, आई. टी. ए. टी. द्वारा ही इंगित किया गया था। जैसा कि देखा गया है, मूल्यांकन वर्ष से संबंधित वर्तमान मामले (आई. टी. ए. संख्या 634/चंडी/84 में) और मूल्यांकन वर्ष से संबंधित मामले (आई. टी. ए. संख्या 635/चंडी/84 में) दोनों का निर्णय आई. टी. ए. टी. द्वारा उसी तारीख यानी आई. टी. 1 पर किया गया था। जबकि

निर्धारण वर्ष 1975-1976 के संबंध में आई. टी. ए. टी. द्वारा निर्धारिती-अपीलार्थी के पक्ष में इस आशय का उत्तर दिया गया था कि निर्दिष्ट तिथि यानी 04.09.1972 पर कब्जा लेने के बाद, पूंजीगत लाभ राज पाल सिंह बनाम नहीं थे।

आय आयोग-कर, हरियाणा, रोहतक [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

निर्धारण वर्ष 1975-1976 के लिए आकलन योग्य, लेकिन निर्धारण वर्ष 1971-1972 के लिए वर्तमान मामले से संबंधित अपील पर निर्णय लेते समय, आई. टी. ए. टी. ने पाया कि कब्जा लेने की तारीख उपलब्ध नहीं थी और इसलिए, कब्जे की वास्तविक तारीख का पता लगाने के लिए मामले को आई. टी. ओ. की फाइल में बहाल कर दिया गया था। 1 7

44.3 . तीसरा, भले ही हम यह मान लें कि वर्तमान मामले में राजस्व का रुख आई. टी. ए. टी. के निर्णय के अनुरूप नहीं है

निर्धारण वर्ष 1975-1976 में, यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्व के पास ऐसा रुख अपनाने का कोई उचित कारण नहीं है। जैसा कि देखा गया है, निर्धारण वर्ष 1975-1976 के संबंध में निर्णय देते समय आई. टी. ए. टी. ने अविनाश शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय सहित विभिन्न निर्णयों में उपलब्ध सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल अधिग्रहण के मामले में भी, भूमि को कब्जा करने की तारीख पर नहीं, बल्कि धारा 9 (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर ही सरकार में निहित किया जाना था। वर्तमान मामले के तथ्यों और लागू कानून को देखते हुए, हमारे विचार में, राजस्व के पास संबंधित कार्यवाही के दूसरे दौर में आई. टी. ए. टी. दिनांक 1 के बाद के निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाने का हर कारण था।

मूल्यांकन वर्ष 1971-1972 तक।

44.4 . चौथा, आई. टी. ए. टी. ने स्वयं इस मामले में शामिल कानून के सवाल के बारे में संतुष्ट होने पर अपने दिनांकित आदेश द्वारा एक संदर्भ दिया।

15.07.1991 उच्च न्यायालय तक। उच्च न्यायालय ने संदर्भ कार्यवाहियों में मामले पर विचार करने और लागू सिद्धांतों के अनुरूप संदर्भ का उत्तर देने के बाद, निर्धारिती को निर्धारण वर्ष के अन्य आदेश के संदर्भ में राजस्व के रुख पर सवाल उठाने के लिए नहीं सुना जा सकता है। किसी भी मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल्यांकन वर्ष के संबंध में निर्णय ऐसी प्रकृति का था जो राजस्व को उन मुद्दों को उठाने से रोकता है जो वर्तमान मामले के लिए उपयुक्त हैं।

45. इसलिए, बिंदु संख्या 2 का उत्तर भी स्पष्ट रूप से नकारात्मक है अर्थात, निर्धारिती-अपीलार्थी के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में है कि -

निर्धारण वर्ष 1971 1972 से संबंधित वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति निर्धारण वर्ष 1975-1976 से संबंधित अपीलार्थी के अन्य मामले के समान नहीं है और राजस्व लेने से वंचित नहीं है।

17 बेशक, आई. टी. ए. टी. द्वारा वर्तमान मामले के संबंध में दिनांक 1 के आदेश में एक टिप्पणी की गई थी कि अधिनिर्णय देने से पहले विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था। हालाँकि, यह अवलोकन तथ्यों के साथ-साथ कानून में भी, बिंदु संख्या 1 में पहले उल्लिखित कारणों से गलत साबित होता है।

यह स्थिति कि वर्तमान मामले में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण केवल अधिनिर्णय की तारीख यानी 29.09.1970 पर ही था।

निष्कर्ष

46. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हमें थोड़ा संदेह है कि कार्यवाही के दूसरे दौर में ए. ओ. ने अधिग्रहण के कारण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के आधार पर अपीलार्थी के कर दायित्व का आकलन किया था। दिनांक 29.09.1970 के अधिनिर्णय में अनुमति दी गई है और साथ ही अपीलार्थी को अंत में उपार्जित बढ़े हुए मुआवजे की भी अनुमति दी गई है; और आय के संबंध में, उपार्जित आधार पर उचित रूप से सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया गया था।

47. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए यह निराशाजनक है।

लागतें। अंकित ज्ञान

अ

पील ओ